वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019

प्रत्यक्ष कर और संबद्ध विधियों से संबंधित उपबंध

प्रस्तावना

प्रत्यक्ष करों से संबंधित वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 के उपबंध, आय कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कर आधार को गहन और विस्तृत करके, कम नकदी अर्थव्यवस्था का संवर्धन करके, लघु उद्यमों के लिए निगमित कर दर को कम करके, दुरुपयोग-रोधी उपायों को सुदृढ़ करके, कर प्रोत्साहन देकर, करदाताओं की कठिनाइयों को दूर करके और कर प्रशासन में प्रभावकारिता का संवर्धन करके, प्रत्यक्ष कर में उत्प्लावकता को गति प्रदान करना जारी रखा जा सके ।

उपरोक्त को प्राप्त करने की दृष्टि से संशोधनों के लिए विभिन्न प्रस्ताव निम्नलिखित शीर्ष के अधीन संगठित किए जा रहे हैं :-

(क) आय-कर की दरें

(ख) कर आधार को व्यापक और गहन करना

(ग) न्यून नकद अर्थव्यवस्था के संवर्धन के उपाय

(घ) कर प्रोत्साहन

(ङ) करस्थम् कंपनियों के समाधान को सुकर बनाना

(च) कर प्रशासन की प्रभावशीलता में सुधार करना

(छ) दुरुपयोग-रोधी उपायों को सुदृढ़ बनाना

(ज) करदाताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करना

(झ) उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

(ञ) प्रकीर्ण

प्रत्यक्ष कर

क. आय-कर की दरें

I. निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर के लिए दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत, आय की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-I में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये वही दरें हैं जो "अग्रिम कर'' की संगणना, "वेतन'' से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2018 की पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित हैं।

(1) आय-कर पर अधिभार

संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा :—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों का निकाय चाहे वे निगमित हो या नहीं या अधिनियम, की धारा 2 के खंड (31) उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में आय-कर की रकम को ऐसे व्यक्ति की दशा में—

(i) ऐसे कर की दस प्रतिशत की दर पर, जहां आय अथवा संदत्त आय या सभावित रूप में संदत्त आय का कुल योग और एक करोड़ रुपए से अधिक कटौती के अध्यधीन हो;

(ii) ऐसे कर की पंद्रह प्रतिशत की दर पर जहां आय अथवा संदत्त आय या संभावित रूप से संदत्त आय का कुल योग और एक करोड़ रुपए से अधिक कटौती के अध्यधीन हों;

(iii) उन मामलों में जहां यह व्यक्ति आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर के दायी हैं, उचित दरों पर अधिभार भी उदग्रहणीय होगा।

(ख) सहकारी समितियों, फर्म या स्थानीय निकायों की दशा में आय-कर की रकम को ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की रकम को ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, बढ़ाया जाएगा। अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर के लिए प्रभार्य कुल आय वाले ऐसे व्यक्तियों के मामले में और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है बारह प्रतिशत की दर पर प्रभार्य उद्ग्रहीत किया जाएगा।

(ग) ऐसी देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा;

(ii) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

(iii) उन मामलों में जहां यह व्यक्ति आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर के दायी हैं, उचित दरों पर अधिभार भी उदग्रहणीय होगा।

(घ) देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में,—

(i) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा,

(ii) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा; और

(iii) ऐसे मामलों में समुचित दरों पर अधिभार उद्ग्रहीत किया जाएगा जहां कंपनी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर के लिए दायी है।

(ङ) अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115ण, 115थक, 115द, 115नक या 115नघ भी है) बारह प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्ग्रहण किया जाएगा। विद्यमान धारा 92गङ में नई अंतःस्थापित उपधारा (2क) के अधीन अतिरिक्त कर के लिए भी बारह प्रतिशत की दर से अधिभार का उद्ग्रहण किया जाएगा।

(2) सीमांत अनुतोष

सीमांत अनुतोष सभी मामलों में भी प्रदान किया जाता है जहां अधिभार उद्ग्रहीत किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

(3) स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर

निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए, "आय-कर शिक्षा उपकर" और "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" को जारी नहीं रखा गया है। तथापि, सभी मामलों में, इस प्रकार संगणित आय-कर की रकम पर, जिसमें अधिभार सम्मिलित है, जहां लागू हो, चार प्रतिशत की दर से "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" के नाम से एक नया उपकर उद्ग्रहीत किया गया है । ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत अनुतोष उपलब्ध नहीं है।

II. "वेतन'' से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें ।

"वेतन'' से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। सभी प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए दरें वही रहेंगी जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2018 की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट हैं। उन धाराओं के लिए, जिनमें स्रोत पर कर कटौती की दर विनिर्दिष्ट हैं, कर की कटौती इन धाराओं के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगी । दो नई धाराएं, धारा 194ङ और धारा 194ढ, उनके अंतर्गत आने वाले मामलों में कटौती की दर विनिर्दिष्ट करते हुए, अंतःस्थापित की जानी प्रस्तावित हैं और विद्यमान धारा 194घक के लिए कटौती की दर उपांतरित की जानी प्रस्तावित है ।

(1) अधिभार

किसी अनिवासी व्यक्ति की दशा में, इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, निम्न अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा—

(क) किसी व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टि का निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा —

(i) ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ;

(ii) ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है;

(iii) ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ; और

(iv) ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पांच करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ख) किसी फर्म या सहकारी सोसाइटी की दशा में, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, निम्न अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा—

(क) ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ;

(ख) ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है ;

अन्य मामलों में कटौतियों के संबंध में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर

भारत में अनिवासी व्यक्तियों की दशा में, जिसके अर्न्तगत देशी कंपनी से भिन्न कंपनियां भी है, आय-कर पर, जिसमें अधिभार, जहां लागू हो, सम्मिलित है, चार प्रतिशत की दर से "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" उद्गृहीत होता रहेगा ।

III. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान "वेतन'' से स्रोत पर आय-कर की कटौती, "अग्रिम कर" की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान "वेतन'' से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें और सभी प्रवर्गों के निर्धारितियों की दशा में उक्त वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर'' की संगणना के लिए भी दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, उदाहरणार्थ अनिवासियों को भारत में उद्भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अनंतिम निर्धारण, वित्तीय वर्ष के दौरान हमेशा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण,ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर से बचने के लिए संपत्ति अंतरित करने की संभावना है, अल्प कालावधि के लिए बने निकायों का निर्धारण, आदि, वहां ये दरें विद्यमान आयों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू हैं। उक्त भाग-3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैरों में उपदर्शित की गई हैं:—

अ. व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि [नीचे (ii) और (iii) में जो उल्लिखित है, उससे भिन्न] या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड(31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है) हैं, आय-कर की दरें निम्नानुसार हैं: —

2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

3,00,000 रुपए तक	शून्य
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	शून्य
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को —

(i) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा ;

(ii) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा ;

(iii) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा ; और

(iv) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा।

तथापि, ऊपर वर्णित व्यक्ति की दशा में,—

(i) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) जिसकी कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है ; और

(iv) जिसकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह पांच करोड़ रुपए से अधिक है ।

आ. सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही हैं जो निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए विनिर्दिष्ट हैं। आय-कर की रकम को, ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

इ. फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार है जो निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसी फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

ई. स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार है जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्दिष्ट है। आय-कर की रकम को, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

उ. कंपनी

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग - 3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट की गई हैं। देशी कंपनी की दशा में आय-कर की दर, यदि पूर्व वर्ष 2017-18 का कुल आवर्त या सकल प्राप्ति चार अरब रुपए से अधिक नहीं है, कुल आय का पच्चीस प्रतिशत होगी और अन्य सभी दशाओं में आय-कर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत होगी। देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में कर की दरें वही हैं जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। किसी देशी कंपनी की दशा में सात प्रतिशत की दर से अधिभार को उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा, यदि देशी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। यदि देशी कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा। देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान दो प्रतिशत के अधिभार को उद्गृहीत किया जाता रहेगा यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है। पांच प्रतिशत की दर पर अधिभार उद्गृहीत होता रहेगा यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है। तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अतिरिक्त दस करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है।

अन्य मामलों में [जिनमें ऐसे मामले भी हैं, जिनमें धारा 92गङ की उपधारा (2), धारा 115ण, धारा 115धक, धारा 115द, धारा 115नक या धारा 115नघ के उपबंध लागू होते हैं] बारह प्रतिशत की दर से अधिभार का उद्ग्रहण किया जाएगा।

[खंड 2 और पहली अनुसूची]

ख. कर आधार को व्यापक और गहन करना

व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा संविदाकारों तथा वृत्तिकों को किए गए संदाय पर स्रोत पर कर कटौती

वर्तमान में किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब पर निवासी संविदाकार या वृत्तिक के किए गए संदाय, जब वह निजी उपयोग के लिए हो, पर स्रोत पर कर कटौती करने का दायित्व नहीं है। आगे, यदि व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब उनके द्वारा चलाए जा रहे कारबार या वृत्ति की संपरीक्षा के लिए अध्यधीन नहीं है, तो वहां पर निवासी को किए गए संदाय पर स्रोत पर कर कटौती के लिए बाध्य नहीं होगी, यदि वह संदाय कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए ही क्यों

न किया गया है। इस छूट के कारण, एक बड़ी रकम व्यष्टियों या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को संविदा कार्य या वृत्ति सेवाओं के संबंध में किए गए संदाय स्रोत पर कर कटौती से बच रही है, जिससे कर अपवंचन के लिए संभव बचाव का रास्ता बन रहा है। इस बचाव के रास्ते को रोकने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 194ड को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि व्यष्टियों या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को संविदाकार कार्य या वृत्ति फीस के लिए एक वर्ष में संदत्त या जमा, रकम या सकल रकम पर पांच प्रतिशत स्रोत पर कटौती उद्गृहीत करने का उपबंध किया जा सके, अधिनियम नियम की धारा 194ग और 194ञ के अधीन स्रोत पर कटौती अपेक्षित नहीं है, यदि रकम या सकल व्यय एक वर्ष में पचास लाख रुपए से अधिक हो जाता है। तथापि, अनुपालन के भार को व्यय करने के लिए, ऐसे व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब अपने स्थाई खाता संख्या (पैन) का प्रयोग करके कर कटौती को जमा करने में सक्षम होंगे और उनसे कर कटौती खाता संख्या (टैन) अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा।

[खंड 46]

स्थावर संपत्ति क्रय करते समय स्रोत पर कर कटौती

अधिनियम की धारा 194झक कृषि भूमि से भिन्न कतिपय स्थावर संपत्ति के अंतरण पर संदाय से संबंधित है और ऐसी संपत्ति के अंतरण के लिए संदत्त या जमा प्रतिफल की रकम पर एक प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती उद्ग्रहीत करने का उपबंध करती है। वर्तमान में इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "प्रतिफल का स्थावर संपत्ति" परिभाषित नहीं है। यह ध्यान रखा जाए कि स्थावर संपत्ति के क्रय के संव्यवहार में, उसमें क्रय प्रतिफल के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संदाय किए गए हैं और क्रेता संविदा के अनुसार उसी करार के अधीन या किसी दूसरे करार के अधीन निर्माता/विक्रेता को ऐसे संदाय करने के लिए बाध्य सदस्यता फीस, कार पार्किंग फीस, बिजली और जल सुविधा फीस, रखरखाव फीस, अग्रिम फीस, इत्यादि के लिए है । तद्नुसार उक्त धारा के स्प-टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है और यह उपबंध करता है कि पद "स्थावर संपत्ति के लिए प्रतिफल" के अंतर्गत, सभी प्रकृति के प्रभार क्लब सदस्यता फीस, कार पार्किंग फीस, बिजली और जल सुविधा फीस, रखरखाव फीस, अग्रिम फीस या उसी प्रकृति के कोई अन्य प्रभार भी हैं, जो स्थावर संपत्ति के अंतरण को आनुषंगिक हैं।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे।

[खंड 45]

भारत के बाहर किसी व्यक्ति को दिए गए उपहार का समझा गया प्रोद्भवन

अधिनियम की धारा 9 का संबंध भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई आय से संबंधित है। अधिनियम के अधीन, अनिवासी भारत में केवल उसी समय पर कराधेय हैं, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत या भारत में प्राप्त प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई या भारत में प्राप्त हुई समझी गई है। अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, आदाता के हाथों में उपहार रकम या संपत्ति पर धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (भ) में उपबंधित कतिपय छूटों के सिवाय, कर लगता है। यह रिपोर्ट किया गया है कि उपहार उन व्यक्तियों द्वारा जो भारतीय निवासी हैं, भारत के बाहर व्यक्तियों को दिए गए हैं और उनका गैर-कराधेय होने का दावा किया गया है, चूंकि आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत नहीं हुई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को दिए गए ऐसे उपहार कर के अध्यधीन है; यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (17क) में निर्दिष्ट आय की प्रकृति, जो भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर व्यक्ति को 5 जुलाई, 2019 को या पश्चात् किसी संदत्त रकम से या कोई संपत्ति जो भारत में स्थित है के अंतरण से उद्भूत है, को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा। तथापि, उपहारों को छूट प्रदान करने के लिए विद्यमान उपबंध, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (भ) के परंतुक में उपबंध के अनुसार ऐसे उपहारों, जिन्हें भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा, लागू होना जारी रहेंगे। संधि की स्थिति में लागू डीटीएए के सुसंगत अनुच्छेद ऐसे उपहारों को भी लागू होना जारी रहेंगे।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 को प्रभावी होंगे और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4]

कतिपय व्यक्तियों द्वारा आय की विवरणी का आज्ञापक प्रस्तुतीकरण

वर्तमान में, किसी कंपनी या किसी फर्म से भिन्न व्यक्ति द्वारा केवल तभी विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, यदि उसकी कुल आय अधिकतम रकम, जो कतिपय अपवादों के अध्यधीन रहते हुए कर प्रभार्य नहीं है, से अधिक हो जाती है। इस प्रकार, कोई व्यक्ति जो कतिपय उच्च मूल्य संव्यवहार में प्रवेश कर रहा है के द्वारा अनिवार्य रूप से उसकी विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति जिसने कतिपय उच्च मूल्य संव्यवहार में प्रवेश किया है, आय की उसकी विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा अधिनियम की धारा 139 के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है जिससे एक व्यक्ति को आज्ञापरक रूप से आय की उसकी विवरणी फाइल करना अपेक्षित हो सके, यदि —

(i) पूर्ववर्ष के दौरान उसने बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक में रखे गए एक या अधिक चालू खाते से एक से अधिक चालू खाते में जमा किया है; और

(ii) पूर्ववर्ष के दौरान उस ने अपने या किसी अन्य व्यक्ति के विदेश यात्रा पर दो लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम व्यय उपगत की है; या

(iii) पूर्ववर्ष के दौरान उस ने बिजली की आपूर्ति के लिए एक लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम व्यय उपगत की है; या

(iv) पूर्ववर्ष के दौरान उस वह विहित शर्तों को पूरा करता है जैसी विहित की जाएं।

और वर्तमान में, कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट आस्तियों जैसे कि मकान, बंधपत्र, इत्यादि, में विनिधान पर पूंजी अभिलाभ कर से छूट के रोल ओवर फायदे का दावा कर रहा है, आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, यदि ऐसे रोल ओवर फायदे के दावे के पश्चात् उसकी कुल आय अधिकतम रकम जो कर प्रभार्य नहीं है, से अधिक नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य करने के लिए, अधिनियम की धारा 139 के छठे परंतुक का उपबंध करके संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 54ङ धारा 54ख, धारा 54घ, धारा 54ङग, धारा 54च, धारा 54छ, धारा 54छक और धारा 54छख के अधीन किसी मकान या किसी बंधपत्र में विनिधान पर ऐसे रोल ओवर फायदों का दावा कर रहा है, से अनिवार्य रूप से विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, यदि रोल ओवर फायदों के दावे से पूर्व, कुल आय अधिकतम रकम जो कर प्रभार्य नहीं है, से अधिक है।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध मे लागू होंगे।

[खंड 39]

स्थायी खाता संख्यांक और आधार की अंत:परिवर्तिता का विहित संव्यवहारों में आज्ञापक उत्कथन करना

अधिनियम की धारा 139क की विद्यमान उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि इसमें विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और जिसे "पैन आबंटित नहीं किया गया है, "पैन (स्थाई खाता संख्या) के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगा।

यह अवलोकन किया गया है कि कई मामलों में "व्यक्ति, जो उच्च मूल्य संव्यवहार जैसे विदेशी मुद्रा का क्रय या बैंकों से विशाल निकासी, में प्रवेश कर रहे हैं, के पास पैन (स्थाई खाता संख्या) नहीं है। कर आधार के विस्तार और गहराई के लिए ऐसे संव्यवहारों की संपरीक्षा को जारी रखने के लिए, पूर्वोक्त उपधारा में नए खंड (vii) को अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे उपबंध किया जा सके, कि, प्रत्येक व्यक्ति, जो कतिपय विहित संव्यवहार में प्रवेश के लिए आशयित है और जिसे पैन आबंटित नहीं किया गया है, भी पैन (स्थाई खाता संख्या) के आबंटन के लिए आवेदन करेगा।

अनुपालन की सहजता को सुनिश्चित करने के लिए, यह प्रस्ताव भी है कि आधार संख्या के साथ पैन (स्थाई खाता संख्या) की अंत:परिवर्तिता का उपबंध हो। तद्नुसार, धारा 139क के उपबंधों का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि :—

(i) प्रत्येक व्यक्ति जिससे अधिनियम के अधीन उसके पैन (स्थाई खाता संख्या)को प्रस्तुत करना या सूचित करना या उत्कथित करना अपेक्षित है और जिसे पैन (स्थाई खाता संख्या) आबंटित नहीं किया गया है किंतु उसके पास आधार संख्या है, वह पैन (स्थाई खाता संख्या) बदले आधार संख्या प्रस्तुत या सूचित या उत्कथित कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को विहित रीति में पैन (स्थाई खाता संख्या) आबंटित किया जाएगा;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति जिसे पैन (स्थाई खाता संख्या) आबंटित किया गया है और जिसने अपनी आधार संख्या 139कक के अधीन लिंक की है, पैन (स्थाई खाता संख्या) के बदले अपना आधार संख्या प्रस्तुत या सूचित या उत्कथित कर सकेगा।

धारा 139 अन्य बातों के साथ, उपबंध करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संव्यवहार से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर रहे हैं जिसके लिए पैन (स्थाई खाता संख्या) उत्कथित करना अपेक्षित है, यह सुनिश्चित करेंगे कि पैन (स्थाई खाता संख्या) सम्यक् रूप से उसमें उत्कथित किया गया है। यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे दस्तावेजों को प्राप्त करेंगे वह भी सुनिश्चित करेंगे कि यथास्थिति पैन (स्थाई खाता संख्या) या आधार संख्या सम्यक् रूप से उत्कथित किए गए हैं। एक नई उपधारा (60क) के उत्कथन का भी प्रस्ताव किया गया है जिससे विहित रीति में विहित संव्यवहारों के लिए पैन (स्थाई खाता संख्या) या आधार संख्या के अधिप्रमाणन को सुनिश्चित किया जा सके। किसी दस्तावेज को प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर नई प्रस्तावित उपधारा (6ख) के माध्यम से कर्तव्य अधिरोपित करने का भी प्रस्ताव किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यथास्थिति पैन (स्थाई खाता संख्या) या आधार संख्या रूप से उत्कथित और अधिप्रमाणित हैं।

पैन (स्थाई खाता संख्या) या आधार संख्या के उत्कथन और अधिप्रमाणन से संबंधित उपबंधों के उचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए धारा 272ख में अंतर्विष्ट शास्ति उपबंध का उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित है।

ये संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे।

[खंड 40 और 64]

आधार के साथ स्थाई खाता संख्यांक न जोड़ने का परिणाम

धारा 139 कक की उपधारा (2) का विद्यमान परंतुक, उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को आबंटित पैन (स्थाई खाता संख्या) अवैध समझी गई है, यदि वह दशा जिसमें व्यक्ति अधिसूचित करने की तारीख को या उससे पूर्व आधार संख्या सूचित करने में असफल रहता है।

ऐसे पैन (स्थाई खाता संख्या) के माध्यम से उद्ग्रहीत पूर्व संव्यवहारों की संरक्षा के लिए, उक्त परंतुक का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति अधिसूचित तारीख तक आधार संख्या सूचित करने में असफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के आबंटित पैन (स्थाई खाता संख्या) को अप्रवर्तनशील बना दिया जाएगा।

ये संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे।

[खंड 41]

वित्तीय संव्यवहारों के कथन की परिधि का विस्तार

अधिनियम की धारा 285खक के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा वित्तीय संव्यवहार (एसएफटी) या रिपोर्ट किए गए खाते के कथन को प्रस्तुत करने का उपबंध है।

आय की विवरणी को पहले से ही भरने में सशक्त करने के लिए, कतिपय विहित व्यक्तियों से भिन्न वह जो वर्तमान विवरणी प्रस्तुत कर रहे हैं, कथन के आज्ञापक प्रस्तुतीकरण द्वारा वित्तीय संव्यवहारों के कथन को प्रस्तुत करने की परिधि का विस्तार करके सूचना अभिप्राप्त करना प्रस्तावित है। छोटी रकम के संव्यवहार को भी पहले से ही भरने के लिए सुनिश्चित करने हेतु सूचना प्रस्तुत करने की वित्तीय व-र्ा के दौरान संव्यवहारों के सकल मूल्य पर पचास हजार रुपए की चालू अवसीमा को हटाने का भी प्रस्ताव है। उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, पूर्वोक्त धारा की उपधारा (4) के उपबंधों का संशोधन भी प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध हो सके कि यदि वहां विनिर्दिष्ट समय के भीतर कथन की त्रुटि को शोधित नहीं किया गया है, तो अधिनियम के उपबंध ऐसे लागू होंगे जैसे कि ऐसे व्यक्ति ने कथन में अयथार्थ प्रस्तुत की थी।

परिणामस्वरूप, धारा 271छकक में अंतर्विष्ट शास्ति उपबंधों का संशोधन करना भी प्रस्तावित है, जिससे वित्तीय संव्यवहार के कथन का सही प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जा सके और धारा 285खक के अधीन रिपोर्ट करने वाले अस्तित्वों को आच्छादित करने के लिए विस्तार को बढ़ाना।

ये संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे।

[खंड 63 और 66]

ग. न्यून नकद अर्थव्यवस्था के संवर्धन के उपाय

इलैक्ट्रोनिक पद्धति से संदाय का प्रदेशन

अधिनियम में विभिन्न उपबंध है, जो नकद संव्यवहार को प्रतिषिद्ध करते हैं और बैंक खाते के माध्यम से केवल किसी खाते के खाता अदाता चैक, खाता अदाता ड्राफ्ट या इलैक्ट्रोनिक क्लेयरिंग प्रणाली से संदाय या प्राप्ति को अनुज्ञा/प्रोत्साहित करता है।

अधिनियम की धारा 13क ऐसे दान पर छूट के प्रयोजन के लिए एक राजनीतिक दल को दो हजार रुपए से अधिक दान केवल किसी खाते के खाता आदाता चैक या खाता आदाता ड्राफ्ट या इलैक्ट्रोनिक क्लेयरिंग प्रणाली के प्रयोग के माध्यम से प्राप्त करने की अपेक्षा करती है।

अधिनियम की धारा 35कघ उपबंध करती है कि पद "पूंजी की प्रकृति का कोई व्यय" किसी व्यय को सम्मिलित नहीं करेगा, जिसके संबंध में निर्धारित किसी बैंक खाते के माध्यम से खाता आदाता चैक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रोनिक क्लेयरिंग प्रणाली से भिन्न किसी व्यक्ति को किसी अन्य पद्धति के माध्यम से एक दिन में दस हजार रुपए से अधिक का संदाय (या कोई सकल संदाय) करता है।

अधिनियम की धारा 40क किसी व्यय के अननुज्ञात होने का उपबंध करता है, जिसमें कोई निर्धारीती किसी बैंक खाते के माध्यम से किसी खाता आदाता चैक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रोनिक क्लेयरिंग प्रणाली से भिन्न किसी अन्य पद्धति के माध्यम से दस हजार रुपए से अधिक का संदाय (या कोई सकल संदाय) करता है।

अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) पद "वास्तविक लागत" की परिभाषा का उपबंध करती है। उक्त धारा का दूसरा परंतुक विनिर्दिष्ट करता है कि जहां निर्धारीती किसी आस्ति या उसके भाग के अर्जन के लिए कोई व्यय उपगत करता है और ऐसे अर्जन के संबंध में, एक दिन में किसी व्यक्ति को किसी खाते से खाता आदाता चैक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रोनिक क्लेयरिंग प्रणाली से भिन्न किसी अन्य पद्धति से दस हजार रुपए से अधिक संदत्त या सकल संदाय करता है, तो ऐसा व्यय वास्तविक लागत के अवधारण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 43गक उपबंध करती है कि जहां आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल का मूल्य निर्धारण करने के करार की तारीख और आस्ति के ऐसे अंतरण के रजिस्ट्रीकरण की तारीख भिन्न है, तो ऐसी आस्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य करार की तारीख पर स्टाम्प शुल्क मूल्य होगा, परंतुक, प्रतिफल की रकम या उसका भाग आस्ति के अंतरण की तारीख को या से पूर्व बैंक खाते के माध्यम से खाता आदाता चैक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रोनिक क्लेयरिंग प्रणाली के प्रयोग से प्राप्त कर लिया गया है। धारा 50ग की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक और धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (10) के उपखंड (ख) के दूसरे परंतुक में समान उपबंध बनाए गए हैं।

अधिनियम की धारा 44कघ पात्र कारबारों के लिए अनुमानित कराधेय स्कीम से संबंधित है और उपबंध करता है कि निर्धारीती के पात्र कारबार में लगे होने की दशा में वह अनुमानित कराधेय स्कीम के फायदे पाने के लिए पात्र होगा, यदि ऐसे कारबार से पिछले व-र्ा में कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों से आठ प्रतिशत की दर से या उच्च लाभ घोषित हुआ है। उक्त धारा की उपधारा (1) का परंतुक उपबंध करता है कि पात्र निर्धारीती अनुमानित कराधेय स्कीम को चुन सकता है यदि वह बैंक खाते से खाता आदाता चैक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रोनिक क्लेयरिंग प्रणाली के माध्यम से प्राप्त आवर्त को छह प्रतिशत की दर पर या उच्च लाभ घोषित करता है।

अधिनियम की धारा 80झझकक, तीन वर्षों के लिए जिसके अंतर्गत वर्ष जिसमें ऐसा अतिरिक्त नियोजन उपबंधित किया गया था, धारा 44कख के अधीन आने वाले कारबार के क्रम में पूर्ववर्ष में किसी निर्धारीती द्वारा उपगत अतिरिक्त कर्मचारी लागत के तीस प्रतिशत की दर के बराबर रकम की कटौती का उपबंध करती है। इस धारा के स्पष्टीकरण के खंड (i) का उपखंड (ख) विनिर्दिष्ट करता है कि विद्यमान कारबार की दशा में अतिरिक्त कर्मचारी लागत शून्य होगी, यदि पारिश्रमिक का संदाय किसी बैंक खाते के माध्यम से खाता आदाता चैक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रोनिक क्लेयारिंग प्रणाली द्वारा से भिन्न से किया जाता है।

संदाय की अन्य इलैक्ट्रोनिक पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उपर्युक्त धाराओं का संशोधन प्रस्तावित है, ताकि ऐसी अन्य इलैक्ट्रोनिक पद्धति, जो बैंक खाते से खाता आदाता चैक या खाता बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रोनिक क्लेयरिंग प्रणाली के प्रकार से पहले से ही संदाय के विद्यमान अनुज्ञेय पद्धति में यथा विहित है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 8,9,11,12,14,16,18,21,27]

समानतया अधिनियम की धारा 269धध, किसी व्यक्ति को किसी निक्षेपकर्ता से, ऋण या निक्षेप या बीस हजार रुपए के बराबर कोई विनिर्दिष्ट रकम या अधिक किसी बैंक खाते से खाता आदाता चैक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रोनिक क्लेयरिंग प्रणाली से, लेने या स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध करती है।

अधिनियम की धारा 269धन, किसी व्यक्ति को एकल संव्यवहार या एक विषय या अवसर से संबंधित संव्यवहार के संबंध में व्यक्ति से बैंक खाते के खाता आदाता चैक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रोनिक क्लेयरिंग प्रणाली के प्रयोग से एक दिन में दो लाख रुपए या सकल अधिक है, को प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध करता है।

अधिनियम की धारा 269धन, किसी बैंक कारी कंपनी या सहकारी बैंक और किसी अन्य कंपनी या सहकारी सोसायटी और किसी फर्म या अन्य व्यक्ति से यदि पुनः संदाय की जा रही रकम बीस हजार रुपए या अधिक है, तो किसी ऋण की अदायगी या उसे किए गए निक्षेप या इसके द्वारा प्राप्त विनिर्दिष्ट कोई अग्रिम को बैंक खाते से खाता आदाता चैक या खाता आदाता बैंक ड्राफ्ट या इलैक्ट्रोनिक क्लेयरिंग प्रणाली से भिन्न किसी अन्य पद्धति से प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध करती है।

संदाय की अन्य इलैक्ट्रोनिक पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उपर्युक्त धाराओं का संशोधन प्रस्तावित है, ताकि बैंक खाते से खाता आदाता चैक या खाता आदाता ड्राफ्ट या इलैक्ट्रोनिक क्लेयरिंग प्रणाली से पहले से ही संदाय/प्राप्ति की विद्यमान अनुज्ञेय पद्धति के अतिरिक्त यथाविहित ऐसी अन्य इलैक्ट्रोनिक पद्धति को सम्मिलित किया जाए।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 को प्रभावी होंगे।

[खंड 57,58,60]

नकद निकासी पर स्त्रोत पर कर कटौती जिससे नकद संव्यवहारों को हतोत्साहित किया जाए

नकद संव्यवहारों को और हतोत्साहित करने के लिए और न्यून नकद अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 194ढ़ अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध हो सके कि बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक या डाकखाने द्वारा वर्ष के दौरान सकल रूप से कंपनी या सहकारी बैंक या डाकखाने द्वारा वर्ष के दौरान सकल रूप से किसी व्यक्ति के खाते में जो प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुरक्षित है, में एक करोड़ से अधिक नकद संदाय पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस उद्ग्रहीत हो जाए।

कतिपय प्राप्तिकर्ताओं को किए गए संदाय से छूट प्रस्तावित है, जैसे कि सरकार, बैंककारी कंपनी, सहकारी सोसायटी जो बैंकिंग कारबार में लगी हुई है, डाकखाना, बैंकिंग पत्रव्यवहार और ह्वाइट लेबल एटीएम आपरेटर, जो इस उपबंधों के लागू होने से उनके कारबार संचालन में नकद को एक भाग के रूप में संभालने में शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से अन्य प्राप्तिकर्ताओं को छूट प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त किया जाना प्रस्तावित है।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 को प्रभावी होंगे।

[खंड 46]

विहित इलैक्ट्रोनिक पद्धतियों के माध्यम से संदायों की आज्ञापक स्वीकृति

सरकार के न्यून नकद अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के मिशन की प्राप्ति के लिए जिससे काले धन के सृजन और परिचालन को कम किया जाए और डिजीटल अर्थव्यवस्था का संवर्धन हो, अधिनियम में नई धारा 269धप को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध हो सके कि ऐसे व्यक्ति द्वारा उपबंध की गई, यदि कोई हो संदाय की अन्य इलैक्ट्रोनिक पद्धतियों की सुविधा के अतिरिक्त, यदि उसकी यथास्थिति, कुल बिक्री, आवर्त या सकल प्राप्तियां कारबार में तुरंत पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष के दौरान पचास करोड़ रुपए से अधिक है, प्रत्येक व्यक्ति जो कारबार चला रहा है, के लिए विहित इलैक्ट्रोनिक पद्धतियों के माध्यम से संदाय को स्वीकर करने की सुविधा का उपबंध किया जाएगा।

पूर्वोक्त उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए और यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 269धप के अधीन नई धारा 271घख अंतस्थापित करके विहित संदाय की इलैक्ट्रोनिक पद्धतियों की सुविधा उपलब्ध करवाने में असफल होने पर, प्रत्येक उस दिन के दौरान जब ऐसी असफलता जारी रहती है, के लिए पांच हजार रुपए की रकम की शास्ति को आकृष्ट किया जाएगा। तथापि शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी, यदि व्यक्ति साबित करता है कि ऐसी असफलता के लिए वहां उचित और युक्तियुक्त कारण थे और ऐसी कोई शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपणीय होगी।

यह संशोधन 1 नवंबर, 2019 को प्रभावी होगा।

[खंड 59,65]

इसके अतिरिक्त संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में एक पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई बैंक या प्रणाली प्रदाता, अधिनियम की धारा 269धप के अधीन विहित इलैक्ट्रानिक संदाय के ढंगों का उपयोग करने के लिए किसी पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभार अधिरोपित नहीं करेगा ।

यह संशोधन 1 नवंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

[खंड 194]

घ. कर प्रोत्साहन

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) को प्रोत्साहन

भारत में विश्वस्तरीय वित्तीय अवसंरचना के विकास का संवर्धन करने के लिए, किसी आईएफएससी से चलाए जा रहे कारबार के संदर्भ में कुछ कर रियायतें पहले ही उपबंधित की जा चुकी हैं। और अन्य देशों में समान आईएफएससी के साथ बराबर इन आईएफएससी को लाने के लिए ऐसे विकास का संवर्धन करने के लिए, निम्नलिखित अतिरिक्त फायदे प्रस्तावित हैं :

(क) अधिनियम की धारा 47 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, पूंजी आस्ति का कोई अंतरण, जो किसी अनिवासी द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया गया है, जो बंधपत्र या वैश्विक निक्षेपागार रसीद है या किसी भारतीय कंपनी के रुपए में अंकित मूल्य में बंधपत्र है या व्युत्पन्न है और जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल को विदेशी मुद्रा में संदत्त किया गया है या उसमें संदेय है। अंतरण के रूप में नहीं माना जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अनुकल्पी विनिधान निधि (एआईएफ) प्रवर्ग III कतिपय प्रतिभूतियों के तटस्थ-कर अंतरण का उपबंध करने की दृष्टि से, उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, ऐसे एआईएफ जिसके सभी यूनिट धारक अनिवासी है, के द्वारा उक्त खंड में विनिर्दिष्ट पूंजी आस्ति का कोई अंतरण, विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा होने के अध्यधीन रहते हुए अंतरण नहीं माना जाएगा।

इस खंड के प्रयोजनों के लिए अन्य प्रतिभूतियों को अधिसूचित करके केन्द्रीय सरकार सशक्त बनाकर उक्त खंड में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के प्रकार में विस्तार प्रस्तावित भी है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 17]

(ख) आईएफएससी में स्थित यूनिटों द्वारा बाहरी उधारों को सुकर बनाने की दृष्टि से, अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव किया गया है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सितंबर, 2019 को या उसके पश्चात इसके द्वारा उधार दी गई धनराशि के संबंध में आईएफएससी में अवस्थित किसी इकाई द्वारा किसी अनिवासी को संदेय ब्याज के माध्यम से किसी आय पर छूट होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-21 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

(ग) अधिनियम की धारा 115ण के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करते हैं कि किसी ऐसी कंपनी द्वारा, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की इकाई है, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में व्युत्पन्न एकमात्र आय के रूप में ऐसे लाभांश को प्राप्त करने वाली कंपनी या व्यक्ति के हाथों में वर्तमान आय में से 1 अप्रैल, 2017 को या उसके तत्पश्चात् लाभांश के रूप में (चाहे अंतरिम हो या अन्यथा) ऐसी कंपनी द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में एकमात्र आय से व्युत्पन्न कुल आय की बाबत वितरित लाभ पर कोई कर प्रभार्य नहीं होगा।

आईएफएससी में प्रचालित कंपनियों द्वारा लाभांश के वितरण को सुकर बनाने के लिए उक्त धारा के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात आईएफएससी में प्रचालनों से प्राप्त पूंजित आय में से संदत्त कोई लाभांश वितरित लाभ के कर के लिए भी दायी नहीं होगा।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा।

[खंड 35]

(घ) अधिनियम की धारा 11डद के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ यह उपबंध करते हैं कि विनिर्दि-ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने शेयर धारकों को वितरित आय की कोई रकम कर से प्रभार्य रहेगी और ऐसी विनिर्दि-ट कंपनी या पारस्परिक निधि इस प्रकार वितरित आय पर अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगी।

आईएफएससी में पारस्परिक निधि के पुनर्स्थापन को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी किसी पारस्परिक निधि द्वारा जिसके सभी इकाई धारक अनिवासी हैं और जो कतिपय अन्य विनिर्दि-ट शर्तों को पूरा करते हैं, 1 सितंबर, 2019 को या उसके पश्चात वितरित आय की किसी रकम की बाबत कोई अतिरिक्त आय-कर प्रभार्य नहीं होगा।

यह संशोधन 1 सितम्बर, 2019 से प्रभावी होगा।

[खंड 37]

(ङ) अधिनियम की धारा 80ठक के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ किसी आईएफएससी की इकाइयों को पांच क्रमवर्ती निर्धारण व-र्ाों की ऐसी आय का सौ प्रतिशत और उसके पश्चात ऐसी आय के पचास प्रतिशत के समतुल्य किसी रकम के लाभ से संयोजित कटौती का उपबंध करता है।

आईएफएससी में ऐसी इकाइयों को और प्रोत्साहित प्रचालन के दृ-टिकोण से उक्त धारा को संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके किन्ही क्रमवर्ती दस व-र्ाों के लिए कटौती बढ़कर सौ प्रतिशत हो जाएगी। निर्धारिती अपने विकल्प पर उसके द्वारा उस व-र्ा से जिसमें निर्दि-ट अनुज्ञा अभिप्राप्त की गई थी से आरंभ होने वाले पन्द्रह व-र्ाों में से किन्हीं दस क्रमवर्ती निर्धारण व-र्ाों के लिए कटौती का दावा कर सकेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चात्वर्ती निर्धारण व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 28]

(च) अधिनियम की धारा 115क अनिवासी (कंपनी न होने पर) या किसी विदेशी कंपनी द्वारा, जहां कुल आय में (धारा 115ण में से भिन्न निर्दि-ट) ब्याज, स्वामित्व तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, आदि संदेय आय-कर की गणना का उपबंध करती है। धारा 80ठक, अन्य बातों के साथ किसी आईएफएससी में अवस्थित किसी इकाई की कतिपय आय के संबंध में कटौती का उपबंध करती है। तथापि, धारा 115क की उपधारा (4) अध्याय 6क जिसमें धारा 80ठक भी सम्मिलित है, के अधीन किसी कटौती का प्रति-ोध करती है।

आईएफएससी में अवस्थित कोई इकाई पूर्ण कटौती के दावे को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 115 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115क की उपधारा (4) में अन्तर्वलित दशाएं उस आईएफएससी की किसी इकाई पर लागू नहीं होंगी, जिसके लिए धारा 80ठक के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चातवर्ती व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 33]

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को प्रोत्साहन

अधिनियम की धारा 43घ के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ उपबंध करते हैं कि कतिपय संस्थानों या बैंकों का निगमों या कंपनियों द्वारा प्राप्त डूबंत और शंकास्पद ऋण के कतिपय प्रवर्गों के संबंध में ब्याज से हुई आय तब उस पूर्ववर्ती व-र्ा में कर से प्रभार्य होगी जिसमें इसे लाभ और हानि लेखा में जमा किया जाता है या वस्तुतः प्राप्त किया जाता है, इसमें से जो भी पूर्वतर हो। यह उपबंध उस लेखा के जिसे ऐसे निर्धारिती द्वारा कुल आय की संगणना के लिए नियमित रूप से अनुसरित किया गया है, प्रोद्भूत तन्त्र का अपवाद है। इस उपबंध के लाभ वर्तमान में लोक वित्तीय संस्थाओं, अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, राज्य औद्योगिक निवेश निगमों और पब्लिक कंपनियों जैसे आवासीय वित्तीय कंपनियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के जो पर्याप्त रूप से नियमित है कतिपय प्रवर्गों को एक समान स्तर प्रदान करने के दृ-टिकोण से अधिनियम की धारा 43घ का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि इस धारा की परीधि में निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को सम्मिलित किया जा सके। परिणामस्वरूप, कराधान में सुमेलन सिद्धांत के अनुसार, अधिनियम की धारा 43ख का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों से किसी ऋण या अग्रिम पर ब्याज

के रूप में निर्धारिती द्वारा संदेय किसी रकम को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा यदि इसे सुसंगत पूर्ववर्ती व-र्ा की आय की विवरणी प्रस्तुत करने की देय तारीख को या उससे पहले वस्तुतः संदत्त किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चात्वर्ती व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 13 और 15]

अपतटीय निधि के लिए विशे-ा कराधान व्यवस्था की शर्तों में शिथिलीकरण

अधिनियम की धारा 9क अपतटीय निधियों की बाबत सुरक्षित बंदरगाह के लिए उपबंध करती है। यह उपबंध करती है कि किसी विनिधान निवेश निधि की दशा में; भारत में अवस्थित और ऐसी निधि के निमित्त कार्रवाई करने वाले किसी पात्र निधि प्रबंधक के माध्यम से किए गए निधि प्रबंधन क्रियाकलाप अपने आप उक्त निधि का भारत में कारबार संबंध गठित नही करते हैं। इसके अतिरिक्त, किसी पात्र विनिधान निधि को केवल इस कारण से कि निधि प्रबंधन के अधीन पात्र निधि प्रबंधक द्वारा इसके निमित्त किए गए क्रियाकलाप भारत में अवस्थित है, भारत में निवासी होना नहीं कहा जाएगा। धारा 9क के फायदे उक्त धारा की उप-धारा (3) उपधारा (4) और उपधारा (5) में उपबंधित शर्तों के अधीन उपलब्ध है।

धारा 9क की उपधारा (3) निधि की पात्रता के लिए शर्तों का उपबंध करती है। ये शर्तें, अन्य बातों के साथ, निधि के निवास, संग्रह, आकार, विनिधानकर्ता के आधार का विस्तार, विनिधान विविधता और सन्निकट निधि प्रबंधक के पारिश्रमिक के संदाय से संबंधित है।

भारत में निधि प्रबंधन क्रियाकलापों को संवेग प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 9क को उपयुक्त रूप से संशोधन को कतिपय बाध्यताओं का दूर किया जाना प्रस्तावित हैं जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि —

(i) निधि का संग्रहण इसके स्थापन या निगमन के मास के अंत से छह मास की अवधि के अंत के समय या ऐसे पूर्ववर्ती व-र्ा के अंत के समय, जो भी पश्चात्वर्ती हो, सौ करोड़ रुपए से अन्यून नहीं होगी।

(ii) निधि द्वारा पात्र निधि प्रबंधक को उसके द्वारा निधि प्रबंधन क्रियाकलापों के संबंध में इसके निमित्त की गई कार्रवाइयों के लिए संदत्त पारिश्रमिक उस रीति में जो विहित की जाए संगणित रकम से अन्यून नहीं है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चात्वर्ती निर्धारण व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

विद्युत यानों के लिए प्रोत्साहन

पर्यावरण में सुधार करने और यानों से होने वाले प्रदू-ाण को कम करने के दृ-टिकोण से अधिनियम में एक नई धारा 80ङङख अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक लाख पचास हजार रुपए तक के किसी वित्तीय संस्थान से किसी विद्युत यान के क्रय हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में किसी कटौती का उपबंध किया जा सकेः

(i) ऋण 1 अप्रैल, 2019 के आरंभ से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के दौरान किसी वित्तीय संस्थान जिसके अन्तर्गत गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, द्वारा स्वीकृत किया गया है।

(ii) निर्धारिती, ऋण की स्वीकृति की तारीख के समय कोई अन्य विद्युत यान का स्वामित्व नहीं रखता है।

यह भी प्रस्ताव किया गया है कि जहां इस धारा के अधीन किसी ब्याज पर कोई कटौती अनुज्ञात की गई है, वहां ऐसी कटौती उस व-र्ा या किसी अन्य निर्धारण व-र्ा के लिए अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन ऐसे ब्याज के संबंध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चात्वर्ती निर्धारण व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 25]

धारा 194ठक के अधीन निर्दि-ट रुपए अंकित मूल्य में बंधपत्र को जारी करके उधारों से प्रोद्भूत किसी अनिवासी की ब्याज से आय पर छूट।

अधिनियम की धारा 194ठग के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि कोई ऋण करार या किसी दीर्घकालिक बंधपत्र जिसके अन्तर्गत अवसंरचना बंधपत्र, या रुपए में अंकित मूल्य बंधपत्र भी हैं के अधीन भारत से बाहर स्रोत से विदेशी मुद्रा में अनिवासी द्वारा किसी विनिर्दि-ट कंपनी को दिए गए उधारों द्वारा उसे संदेय ब्याज से आय पर पांच प्रतिशत की रियायती दर से स्रोत पर कर कटौती के लिए पात्र होगा।

अपतटीय रुपए में अंकित मूल्य बंधपत्र के माध्यम से कम कीमत के विदेशी उधारों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति द्वारा तारीख 17 सितंबर, 2018 में अन्य बातों के साथ, उद्घो-ित किया गया कि 17 सितंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान भारत से बाहर जारी किए गए रुपए में अंकित मूल्य बंधपत्र के संबंध में किसी अनिवासी, जिसके अन्तर्गत कोई विदेशी कंपनी भी है, को किसी भारतीय कंपनी या किसी कारबार न्यास द्वारा संदेय ब्याज पर कर से छूट रहेगी। परिणामस्वरूप उक्त बंधपत्र की बाबत ब्याज के संदाय पर किसी कर की कटौती किया जाना अपेक्षित नहीं था। उक्त प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उदघो-ित की गई छूट को अधिनियम की धारा 10 के संशोधन द्वारा विधि में निगमित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि 17 सितंबर, 2018 से आरंभ होकर 31 मार्च, 2019 की समाप्ति तक की अवधि के दौरान, धारा 194ठग में यथा निर्दि-ट रुपए में अंकित मूल्य बंधपत्र को जारी करके भारत से बाहर किसी स्रोत से उधार लिए गए धन की बाबत विनिर्दि-ट कंपनी द्वारा किसी अनिवासी को ब्याज के माध्यम से संदेय आय पर छूट का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण व-र्ा 2019-20 और पश्चात्वर्ती निर्धारण व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

वहनीय आवास के लिए कर प्रोत्साहन

सरकार के उद्देश्य सबके लिए आवास को संवेग प्रदान करने के लिए और गृह क्रेता को उसके निस्तारण पर कम कीमत की निधि प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए अधिनियम में एक नई धारा 80ङडक को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किसी वित्तीय संस्थान

से आवासीय गृह संपत्ति लिए गए ऋण पर एक लाख पचास हजार रुपए तक के ब्याज की बाबत किसी कटौती या उपबंध किया जा सके—

(i) ऋण 1 अप्रैल, 2019 के आरंभ से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान किसी वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत किया गया है।

(ii) आवासीय संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपए से अधिक नहीं है।

(iii) निर्धारिती ऋण की स्वीकृति की तारीख को किसी आवासिक गृह संपत्ति का स्वामित्व नहीं रखता है।

यह भी प्रस्ताव किया गया है कि जहां इस धारा के अधीन किसी कटौती को किसी ब्याज के लिए अनुज्ञात किया गया है, ऐसी कटौती उसी व-र्ा या अन्य किसी निर्धारण व-र्ा हेतु अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन ऐसे ब्याज के बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चात्तवर्ती निर्धारण व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

अधिनियम की धारा 80झखक के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ उपबंध करते हैं कि जहां निर्धारिती की सकल आय में आवासीक परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से प्राप्त कोई लाभ और अभिलाभ भी सम्मिलित है, वहां कतिपय शर्तों के अधीन ऐसे कारबार से प्राप्त लाभों और अभिलाभों के सौ प्रतिशत के समतुल्य किसी रकम की कटौती को अनुज्ञात किया जाएगा।

धारा 80झखक के अधीन वहनीय आवासक परियोजनाओं की परिभा-ाा को माल और सेवा कर अधिनियम के परिभा-ाा के साथ सुमेलित करने के दृ-टिकोण से उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि 1 सितंबर, 2019 को या उसके पश्चात अनुमोदित आवासीक परियोजनाओं के संबंध में कतिपय शर्तों को उपांतरित किया जा सके। उपांतरित शर्तें निम्नानुसार हैं:-

(i) निर्धारिती किसी आवासीय परियोजना के संबंध में, धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र रहेगा यदि महानगर शहरों में आवासीय परियोजना में किसी आवासीय इकाई का कारपेट क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर या बेंगलूरु, चैन्नई, दिल्ली रा-ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद तक सीमित), हैदराबाद,कोलकाता और मुम्बई (सम्पूर्ण मुम्बई महानगर क्षेत्र) महानगर शहरों से भिन्न शहरों और नगरों में 90 वर्ग मीटर से अधिक है, और

(ii) आवासीय परियोजना में ऐसी आवासीय इकाई का स्टांप शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 25 और 26]

रा-ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंशदाताओं को प्रोत्साहन

(i) अधिनियम की धारा 10 के विद्यमान उपबंधों के अधीन पेंशन स्कीम से अपना खाता बंद करने या उससे बाहर निकलने का विकल्प देने पर किसी निर्धारिती को रा-ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से कोई भी संदाय उस परिणाम तक, जहां तक यह उसके खाते बंद करने या स्कीम छोड़ने के विकल्प पर उसे संदेय कुल रकम के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, कर से छूट प्राप्त होगी। पेंशनर के पास और अधिक निस्तारण निधि हेतु समर्थ बनाने के दृ-टिकोण से उक्त धारा के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि स्कीम से अपना खाता बंद करते समय या उससे बाहर निकलने का विकल्प देने पर व्यक्ति को संदेय कुल रकम की उक्त छूट को चालीस प्रतिशत से साठ प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके।

(ii) अधिनियम की धारा 80गगघ के विद्यमान उपबंधों के अधीन धारा में निर्दि-ट कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा किसी अभिदाय के संबंध में निर्धारिती को उसकी कुल आय की संगणना में केंद्रीय सरकार द्वारा अभिदाय की गई ऐसी संपूर्ण रकम, जो पूर्व व-र्ा में उसके वेतन के चौदह प्रतिशत से अधिक नहीं है, की कटौती अनुज्ञात की जाएगी। वर्धित अभिदाय भी पूर्ण कटौती केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के खातों में किए गए अभिदाय की दशा में सीमा को दस प्रतिशत से बढ़ाकर चौदह प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है।

(iii) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को रा-ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कर बचत विनिधानों के और विकल्प रखने में समर्थ बनाने हेतु धारा 80ग के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि पेंशन स्कीम के टियर-।। खाते में किसी अभिदाय के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा संदत्त या निक्षेप की गई कोई रकम उक्त धारा के अधीन कटौती के लिए दायी होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6,23,24]

स्टार्ट-अप के लिए प्रोत्साहन

1. अधिनियम की धारा 79 किसी कंपनी की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता सारवान रूप से हितबद्ध है, हानियों का अग्रनीत किए जाने और उसका मुजरा किए किए जाने हेतु शर्तों का उपबंध करती है। उस धारा का खंड (क) धारा 80झकग में यथा निर्दि-ट पात्र स्टार्ट-अप के सिवाय सभी ऐसे कंपनियों पर लागू होता है, जबकि खंड (ख) केवल ऐसे पात्र स्टार्ट-अप पर लागू होता है।

खंड (क) के अधीन ऐसी हानि को, जो उस पूर्ववर्ती के किसी पूर्व वर्ष में उपगत हुई थी, तब तक अग्रनीत नहीं किया जाएगा या पूर्व वर्ष की आय के प्रति उसका मुजरा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को कंपनी के वे शेयर, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे, ऐसे व्यक्तियों द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित है, न रहे हों, जो उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें हानि उपगत हुई थी, अंतिम दिन कंपनी के ऐसे शेयरों को फायदाप्रद रूप से धारण करते थे, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे ।

खंड (ख) के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष से पूर्व किसी वर्ष में उपगत हानि को पूर्ववर्ती वर्ष की आय के विरुद्ध अग्रनीत किया जाएगा और उसका मुजरा किया जाएगा, यदि ऐसी कंपनी के सभी शेयरधारक, जो वर्ष या वर्षों के अंतिम दिन, जिसमें हानि उपगत हुई थी, उन शेयरों को ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन धारण करना जारी रखते हैं और ऐसी हानि उस वर्ष से प्रारंभ होने वाले सात वर्षों के दौरान, जिनमें ऐसी कंपनी निगमित हुई है, उपगत हुई है । उक्त खंड को कारबार को सहायता से करने तथा स्टार्ट-अप इंडिया का संवर्धन करने के लिए वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा अंत:स्थापित किया गया था।

इसके अतिरिक्त पात्र स्टार्ट-अप की दशा में सहजता से कारबार करने को और सुकर बनाने के लिए यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया है कि पूर्ववर्त्ती व-र्ा के पूर्व किसी व-र्ा में उपगत हानि का निकटतः धारित पात्र स्टार्ट-अप की दशायें, खंड (क) या खंड (ख) में वर्तमान में अनुबद्ध दो-शर्तों में से किसी एक के समाधान पर पूर्ववर्त्ती व-र्ा की आय के विरुद्ध अग्रनीत किया जाना और उसका मुजरा किया जाना अनुज्ञात होगा। अन्य निकटतः धारित कंपनियों के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा और वर्तमान में केवल खंड (क) में उपबंधित शर्त के समाधान पर अग्रनीत की जा सकेगी और उसका मुजरा किया जा सकेगा।

(2) अधिनियम की धारा 54छख के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ पात्र निर्धारिती के स्वामित्वधीन किसी दीर्घ कालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उदभूत होने वाले पूंजी अभिलाभ के संबंध में रोल ओवर फायदे लेने में समर्थ बनाने हेतु निर्धारिती से आय की विवरणी को फाईल करने की देय तारीख से पूर्व किसी पात्र कंपनी के साम्य शेयरों में अभिदाय के शुद्ध प्रतिफल का उपयोग करना अपेक्षित है। निर्धारिती के पास पात्र कंपनी के शेयरों में अभिदाय के पश्चात् पचास प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी या पचास प्रतिशत से अधिक मतदान का अधिकार अपेक्षित है। उक्त धारा, अन्य बातों के साथ अर्जन की तारीख से पांच व-र्षों के लिए कंपनी द्वारा अर्जित आस्तियों के अंतरण पर निर्बधन लगाती है। वर्तमान में इस धारा का फायदा केवल स्टार्ट-अप के साम्य शेयरों के विनिमान हेतू उपलब्ध था और वह अवधि भी 31 मार्च 2017 को समाप्त हो गई। इस प्रकार, वर्तमान में, 31 मार्च, 2019 के पश्चात् आवासीक सपत्ति के अंतरण के लिए कोई फायदा उपलब्ध नहीं है।

पात्र स्टार्ट-अप में विनिधान के प्रोत्साहन के लिए, उक्त धारा के संशोधन का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि —

(i) पात्र स्टार्ट-अप में विनिधान के लिए आवासीक संपत्ति के अंतरण की सीमांत तारीख का 31 मार्च, 2019 से 31 मार्च, 2021 तक विस्तार

(ii) शेयर पूंजी या मतदान अधिभार के पचास प्रतिशत की न्यूनतम शेयरधारिता की शर्त का पच्चीस प्रतिशत तक शिथिलिकरण

(iii) कम्प्यूटर या कम्प्यूटर साफ्टवेयर होने से नई आस्ति के अंतरण पर निर्बधन की शर्त का वर्तमान पांच व-र्षों से तीन व-र्षों तक का शिथिलिकरण

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण व-र्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 20, 22]

अनुकल्पी विनिधान निधि (ए आई एफ) प्रवर्ग-II के लिए प्रोत्साहन

अधिनियम की धारा 56 के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ उपबंध करते हैं कि जहां कोई कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिससे जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, किसी पूर्व व-र्ा में, ऐसे व्यक्ति से, जो निवासी है, शेयरों के पुरोधरण के लिए ऐसा कोई प्रतिफल प्राप्त करती है, जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, वहां ऐसे शेयरों के लिए प्राप्त कुल प्रतिफल, जो शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक है, कर से प्रभार्य नहीं होगा, यदि शेयरों के पुरोधरण के लिए प्राप्त प्रतिफल किसी जोखिम पूंजी कंपनी या किसी जोखिम पूंजी निधि से जोखिम पूंजी उपक्रम द्वारा या व्यक्तियों के ऐसे किसी वर्ग या वर्गों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, किसी कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाता है । वर्तमान में छूट के फायदे अनुकल्पीय विनिधान निधि प्रवर्ग I के लिए उपलब्ध हैं। अनुकल्पीय विनिधान प्रवर्ग II से प्राप्त निधियों के लिए जोखिम पूंजी उपक्रमों को सुकर बनाने के दृ-टिकोण से, अनुकल्पीय विनिधान निधि प्रवर्ग II से जोखिम पूंजी उपक्रमों द्वारा प्राप्त निधि को इस छूट के विस्तार के साथ उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगें और तदनुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण व-र्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 21]

ङ करस्थम कंपनियों के समाधान को सुकर बनाना

करस्थम कंपनियों के समाधान के लिए उपाय

धारा 79 के विघमान उपबंध किसी कंपनी को लागू नहीं होंगें जहां शेयरधारण में कोई परिवर्तन किसी पूर्ववर्त्ती व-र्ा में अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् दिवाला और शोधन क्षमता सहिंता 2016 द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना के परिणामस्वरूप हुआ है। इस प्रकार ऐसे मामलों में हानि को यहां तक कि मतदान शक्ति में या शेयरधारिता परिवर्तन भी है, अग्रनीत और उसका मुजरा किया जा सकेगा । इस फायदे को कतिपय कंपनियों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार नई अंतःस्थापित धारा 79 में उपबंधित किया गया है कि इस धारा के उपबंध उन कंपनियों और उसकी समनुं-ागियों तथा ऐसी समनु-ांगी की समनु-ांगियों को लागू नहीं होंगे, जहां :-

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनिमय, 2013 की धारा 241 के अधीन लाई गई याचिका पर रा-ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड को निलंबित कर दिया है और नए निदेशकों की नियुक्ति की है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 242 के अधीन नामानिर्दि-ट किया गया है; और

(ii) ऐसी कंपनी और उसकी समनु-ांगियों तथा ऐसी समनु-ांगी की समनु-ांगी कंपनी के शेयरधारण में कोई परिवर्तन पूर्व व-र्ा में अधिकारिता रखने वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242 के अधीन रा-ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना के परिणामस्वरूप हुआ है ।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया है कि अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन बही लाभ की सगंणना के लिए अनामेलित अवक्षयण की कुल रकम और अग्रनीत हानि (अवक्षयण को छोड़कर) उपरोक्त उल्लेखित कंपनियों के मामलों में घटाए जाने के लिए भी अनुज्ञात होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण व-र्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 22, 34]

कतिपय संव्यवहार के लिए शेयरों के उचित बाजार मूल्य की धारणा से छूट का विहित किया जाना

आय कर अधिनियम की धारा 56(2) (भ) के विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ, धन या विनिर्दि-ट संपत्ति, प्रतिफल रहित या अपर्याप्त प्रतिफल के लिए प्राप्ति की दशा में, आय की प्रभार्यता के लिए उपबंध है। कतिपय शेयरों की प्राप्ति के लिए आय की रकम का अवधारण करने के लिए, शेयरों के उचित बाजार मूल्य को विचार में लिया जाता है। इसी प्रकार, धारा 50गक में कोट किए गए शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से होने वाले पूंजीगत अभिलाभों की गणना करने के लिए

ऐसे शेयरों के उचित बाजार मूल्य की धारणा करने के लिए उपबंध किया गया है। वर्तमान में, धारा 56(2)(भ) के उपबंध कतिपय विनिर्दि-ट संव्यवहारों पर लागू नहीं है। तथापि, धारा 50गक के अधीन ऐसी कोई छूट उपलब्ध नहीं है।

विहित किए गए नियमों के आधार पर उचित बाजार मूल्य का अवधारण करने के परिणामस्वरूप कतिपय मामलों में वहां असली कठिनाई हो सकती है, जहां शेयरों के अंतरण के लिए प्रतिफल कतिपय प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और शेयर का अंतरण करने वाले व्यक्ति का ऐसे अवधारण पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस प्रकार के संव्यवहारों को धारा 56(2)(भ) और 50गक की प्रयोज्यता से राहत प्रदान करने के लिए, कतिपय प्रवर्ग से, व्यक्तियों द्वारा किए गए ऐसे संव्यवहार विहित करने हेतु, जिन पर धारा 56(2)(भ) और 50गक के उपबंध लागू नहीं होंगे, बोर्ड को सशक्त करने के लिए इन धाराओं का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगें और तदनुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण व-र्ाों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 19, 21]

च. कर प्रशासन की प्रभावशीलता में सुधार करना

अनिवासियों को संदाय करने पर स्त्रोत पर कटौती किए जाने के लिए कर का अवधारण करने हेतु आन-लाइन आवेदन फाइल करना

अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (2) के अधीन, किसी अनिवासी की इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य किसी ऐसी राशि के (जो वेतन से भिन्न है) संदाय के लिए उतरदायी व्यक्ति यह समझता है कि ऐसी संपूर्ण राशि ऐसी आय नही होगी जो प्राप्तिकर्ता के मामले में प्रभार्य हो, वहां वह निर्धारण अधिकारी से आवेदन कर सकेगा कि वह ऐसी राशि का इस प्रकार प्रभार्य समुचित अनुपात अवधारित करे । इस उपबंध का प्रयोग किसी अनिवासी को संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा विधारित कर को कम या शून्य करने के लिए निर्धारण अधिकारी से प्रमाणपत्र/आदेश अभिप्राप्त करने के लिए किया जाता है। तथापि, यह प्रक्रिया वर्तमान में व्यक्तिपरक है। इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए, जिससे ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए न केवल कम समय लगेगा अपितु ऐसे संदायों को मानिटर करने में कर प्रशासन को भी मदद मिलेगी, निर्धारण अधिकारी को आवेदन करने के प्ररुप और रीति तथा प्रभार्य राशि की समुचित स्थिति का भी निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारण करने की रीति विहित करने के लिए इस धारा के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

इसी प्रकार का संशोधन धारा 195 की उपधारा (7), जो विनिर्दि-ट प्रवर्ग के व्यक्तियों या मामलों में लागू होती है, में भी किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

ये संशोधन 01 नवम्बर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 47]

संव्यवहार, जिन पर कर की कटौती नहीं की गई है, की विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल करना

अधिनियम की धारा 206क ऐसे निवासियों को ब्याज के रूप में कतिपय आय के संदाय की बाबत विवरणी देने के संबंध में है, जहां स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई है।

वर्तमान में, यह धारा ऐसी विवरणियां किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक टेप, सीडी-रोम या किसी अन्य कम्प्यूटर पठनीय माध्यम पर फाइल करने के लिए उपबंध करती है। ऐसी विवरणियां आन-लाइन फाइल करने के लिए समर्थ बनाने हेतु, इस धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे विहित प्ररुप और विहित रीति में विवरणी (जहां निवासियों को ब्याज के रूप में कतिपय आय के संदाय पर कर की कटौती नहीं की गई है) फाइल करने का उपबंध किया जा सके।

ऐसी विवरिणियों को ठीक करने के लिए दी गई सूचना में किसी त्रुटि का सुधार करने या परिवर्धन करने या हटाने या अद्यतन करने का उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है।

एक पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिसके द्वारा किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी द्वारा ब्याज के संदाय पर स्त्रोत पर कर की कटौती करने की अवसीमा बढ़ाकर चार हजार रुपए कर दी गई थी।

ये संशोधन 01 सितम्बर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 50]

छ. दुरुपयोग-रोधी उपायों को सुदृढ़ करना

सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में शेयरधारकों को वितरित आय पर कर

अधिनियम की धारा 115थक कंपनी द्वारा असूचीबद्ध शेयरों को क्रय द्वारा वापस लिए जाने पर वितरित आय पर बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर का उदग्रहण करने का उपबंध करती है। चूंकि कंपनी के स्तर पर अतिरिक्त आय-कर उद्गृहीत किया गया है, इसलिए शेयरधारकों को उद्भूत होने वाली पारिणामिक आय अधिनियम की धारा 10 के खंड (34क) के अधीन कर से छूट प्राप्त है।

यह धारा असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा लाभांश का संदाय करने की बजाए शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेने की परिपाटी को रोकने के लिए एक दुरुपयोग-रोधी उपबंध के रूप में पुरःस्थापित की गई थी। असूचीबद्ध कंपनियों के बीच, पूर्व में, व्यापक स्तर पर दुरुपयोग का यह व्यवहार ध्यान में आया था, जहां करदाताओं ने कर अपवंचन करने के लिए इसे अधिमान दिया क्योंकि पूंजी अभिलाभ के लिए कर की दर लाभांश वितरण कर की दर की कम थी। तथापि, सूचीबद्ध शेयरों के मामले में भी अब इसी प्रकार के कर अंतरपणन ध्यान में आए हैं, जिसके द्वारा सूचीबद्ध कंपनियां भी लाभांश का संदाय करने की बजाए शेयरों को क्रय द्वारा वापस लिए जाने की इस परिपाटी को अपनाने में संलिप्त हैं।

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अपनाई गई कर परिवर्जन की ऐसी परिपाटी को रोकने के लिए, ऐसी कंपनियों द्वारा, जो मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है, शेयरधारकों से शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेने से संबंधित अधिनियम की धारा 115थक के अधीन वर्तमान दुरुपयोग-रोधी उपबंधों को मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियों सहित सभी कंपनियों तक विस्तृत किए जाने का प्रस्ताव है। अतः, मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किसी कंपनी द्वारा

05 जुलाई, 2019 को या उसके पश्चात् किसी शेयरधारक से शेयरों का किसी क्रय द्वारा वापस लिया जाना अधिनियम की धारा 115थक के उपबंध के अंतर्गत आएगा। तदनुसार, सूचीबद्ध कंपनी के शेयरधारकों को अधिनियम की धारा 10 के खंड (34क) के अधीन छूट को विस्तारित करने का भी प्रस्ताव है। जिन पर क्रय द्वारा शेयोरों को वापस लेने पर कंपनी द्वारा अतिरिक्त आय-कर संदत्त किया गया है।

ये संशोधन 05 जुलाई, 2019 से प्रभावी होंगे।

[खंड 61 और 36]

न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना

अधिनियम की धारा 12कक न्यास या संस्था की दशा में अधिनियम की धारा 11 के अधीन अपनी आय की बाबत छूट का उपभोग, धारा 11, 12, 12कक और 13 में अंतर्वि-ट शर्तों के अधीन रहते हुए,रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की रीति विहित करती है। धारा 12कक में उक्त रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की रीति भी उपबंधित है। इस धारा में यह उपबंधित है कि रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण दो अधारों पर किया जा सकता हैः

(क) प्रधान आयुक्त या आयुक्त का इस बारे में समाधान हो जाता है कि छुट-प्राप्त इकाई के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं है या इसके उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं; और

(ख) यह पाया जाता है कि छूट प्राप्त इकाई के क्रिया-कलाप ऐसी रीति में किए जा रहे हैं कि उसकी संपूर्ण आय या इसके किसी भाग को छूट प्राप्त नहीं थी ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यास या संस्था अपने उद्देश्यों से विचलन न करें, आय-कर अधिनियम, 1951 की धारा 12कक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, -

(i) किसी न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने समय प्रधान आयुक्त या आयुक्त, अन्य बातों के साथ, अपना इस बारे में भी समाधान करेगा कि न्यास या संस्था द्वारा किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा, जिसका इस कारण से पालन किया जाना अपेक्षित है कि इस न्यास या संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए ऐसा पालन किया जाना सारवान् है;

(ii) जहां किसी न्यास या संस्था को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है या धारा 12क के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और पश्चात्वर्ती रूप में यह पाया जाता है कि उस न्यास या संस्था ने उस किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं का अतिक्रमण किया है, जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए सारवान् थी; और ऐसा आदेश, निदेश या डिक्री जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो और उस विवादग्रस्त नहीं किया गया है या उसने अंतितमता प्राप्त कर ली है, तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त, लिखित आदेश द्वारा ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् रद्द कर सकेगा।

ये संधोधन 01 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे।

[खंड 7]

ज. करदात्ताओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करना

भारतीय लेखांकन मानक का अनुपालन करने वाली कंपनियों के निर्विलियन को सुकर बनाना

कर-तटस्थ निर्विलियनों के लिए शर्तों में से एक यह है कि पारिणामिक कंपनी उपक्रम की संपत्ति और दायित्वों को निर्विलियत कंपनी की लेखा बहियों में प्रतीत होने वाले मूल्य पर अभिलिखित करे। यह अभ्यावेदन दिया गया है कि भारतीय लेखांकन मानक का पालन करने वाली कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे उपक्रम की संपत्ति और दायित्वों को निर्विलियत कंपनी के बही मूल्य से भिन्न मूल्य पर अभिलिखित करे।

इसे सुकर बनाने के लिए, अधिनियम की धारा 2 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि पारिणामिक कंपनी द्वारा बही मूल्य पर संपत्ति और दायित्वों को अभिलिखित करने की अपेक्षा उस मामले में लागू नहीं होगी, जहां उसके द्वारा प्राप्त उपक्रमों की संपत्ति और दायित्व निर्विलियत कंपनी की लेखा बहियों में प्रतीत होने वाले मूल्य से भिन्न मूल्य पर कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दि-ट निर्विलियन से तुरंत पूर्व अभिलिखित हैं।

यह संशोधन 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

अनिवासियों को संदाय की दशा में अधिनियम की धारा 201 और 40 के उपबंधों को शिथिल करना

अधिनियम की धारा 201 यह उपबंध करती है कि जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी या नियोजक भी है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कटौतीकर्ता" कहा गया है), जिसके लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करना अपेक्षित है, ऐसे कर की कटौती नहीं करता है या उसका संदाय नहीं करता है अथवा इस प्रकार कटौती करने के पश्चात् संदाय करने में असफल रहता है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे कर की बाबत व्यक्तिक्रमी निर्धारित समझा जाएगा।

धारा 201 की उपधारा (1) का प्रथम परंतुक यह विनिर्दि-ट करता है कि कटौतीकर्ता तब व्यक्तिकृमी निर्धारित नहीं समझा जाएगा, यदि वह किसी निवासी को किए गए संदाय पर तब कर की कटौती करने में असफल रहता है, यदि ऐसे निवासी ने धारा 139 के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी है, आय की उस विवरणी में आय की संगणना करने के लिए ऐसी राशि को हिसाब में लिया है, आय की उस विवरणी में उसके द्वारा घोि-त की गई आय पर देय कर का संदाय कर दिया है और इस आशय का लेखापाल से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है।

कटौतीकर्त्ता को धारा 201 में यह राहत केवल किसी निवासी को किए गए संदायों की बाबत उपलब्ध है। किसी अनिवासी को किए गए संदायों पर इसी प्रकार की असफलता की दशा में, कटौतीकर्त्ता को ऐसी राहत उपलब्ध नहीं है। इस अनियमितता को दूर करने के लिए, धारा 201 की उपधारा (1) के परंतुक का संशोधन, इस परंतुक का फायदा अनिवासी को सदाय करने पर भी कटौतीकर्त्ता को विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

इस संशोधन के परिणामस्वरूप, धारा 201 की उपधारा (1क) के परंतुक का संशोधन अनिवासी आदाता द्वारा विवरणी फाइल करने की तारीख तक ब्याज के उद्ग्रहण (जैसा कि वर्तमान में पाने वाले निवासी की दशा में है) के लिए उपबंध करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 01 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे।

[खंड 49]

इसी कारण, से धारा 40 के खंड (क) का संशोधन यह उपबंध करने के लिए भी प्रस्तावित है कि जहां कोई निर्धारिती अध्याय 17-ख के उपबंधों के अनुसार किसी अनिवासी को संदत्त राशि पर कर की कटौती करने में असफल रहता है किंतु धारा 201 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के अधीन व्यक्तिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है, तब यह समझा जाएगा कि निर्धारिती ने उस परंतुक में निर्दि-ट आदाता वाले द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को ऐसी राशि पर कर की कटौती कर ली थी और संदत्त कर दी थी। अतः ऐसे संदायों की बाबत धारा 40 के अधीन कोई नामंजूरी नहीं होगी।

यह संशोधन 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चात्वर्त्ती व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 10]

अग्रिम मूल्यांकन करार पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् फाइल की गई उपांतरित आय विवरणी की बाबत निर्धारण अधिकारी की शक्ति के वि-ाय में स्प-टीकरण

अधिनियम की धारा 92गग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, किसी व्यक्ति के साथ असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए या उस रीति को विनिर्दि-ट करते हुए जिसमें किसी अंतरश-ट्रीय संव्यहार के संबंध में असन्निकट कीमत का अवधारण किया जाना है, अग्रिम मूल्यांकन करार करने के लिए सशक्त करती है। अग्रिम मूल्यांकन करार पांच पूर्ववर्ती व-र्ाों से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य है, जो करार में विनिर्दि-ट की जाए। यह धारा चार व-र्ाों के लिए अग्रिम मूल्यांकन करार को रोल-बैक करने का उपबंध करती है। अत:, जब एक बार अग्रिम मूल्यांकन करार हो जाता है, तो अंतरश-ट्रीय संव्यवहार की असन्निकट कीमत, जो अग्रिम मूल्यांकन करार की वि-ायवस्तु है, का अवधारण ऐसे अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार किया जाएगा।

अग्रिम मूल्यांकन करार को प्रभावी रूप देने के लिए धारा 92 गघ में करदाता द्वारा उपांतरित आय की विवरणी फाइल करने के लिए क्रियाविधि, जिसके अंतर्गत समय-सीमा और निर्धारण अधिकारी द्वारा अग्रिम मूल्यांकन करार के निबंधनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारणों को पूर्ण करने की रीति भी है, भी उपबंधित है।

इस धारा की उपधारा (3) उस स्थिति के संबंध में है, जहां या पुनर्निर्धारण उपांतरित विवरणी फाइल करने के लिए अनुज्ञात समय के पर्यवसान से पूर्व पहले ही निर्धारण पूरा हो चुका है। यह उल्लेख करते हुए आशंका व्यक्त की गई है कि "निर्धारण या पुनर्निर्धारण या पुनःसंगणना" शब्दों के प्रयोग के कारण फील्ड प्राधिकारी ऐसे निर्धारितियों के पूरे हो गए निर्धारणों या पुनर्निर्धारणों की बाबत नये सिरे से निर्धारण या पुनर्निधारण आरंभ कर सकते हैं, जिन्होनें उनके द्वारा किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार अपनी आय कि विवरणियां की उपांतरित हैं, जबकि विधानमंडल का आशय विवरणियों के उपांतरण के परिणामस्वरूप कुल आय को मात्र उपांतरित करने के लिए निर्धारण अधिकारी के प्रति है।

अत:, धारा 92गघ की उपधारा (3) का यह स्प-ट करने के लिए संशोधन प्रस्तावित है कि ऐसे मामलों में, जहां निर्धारण या पुनर्निर्धारण पहले ही पूरा हो गया है और जहां करदाता ने उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन उपांतरित आय की विवरणी फाइल की गई है, वहां निर्धारण अधिकारी अग्रिम मूल्यांकन करार को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुसार ऐसे निर्धारण या पुनर्निधारण में अवधारित सुसंगत निर्धारण व-र्ा की कुल आय को उपांतरित करते हुए आदेश पारित करेंगे।

यह संशोधन 01 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा।

[खंड 29]

द्वितीय समयोजन के उपबंधों के संबंध में स्प-टीकरण और निर्धारित को एक बारगी संदाय का विकल्प देना

सर्वोत्तम उपबंधों को अंतरण कीमत बनाने अंतरश-ट्रीय पद्धतियों के लिए अधिनियम की धारा 92गङ कतिपय मामलों में गौण समायोजन का उपबंध करती है।

यह धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि निर्धारित से वहां द्वितीय समायोजन करने की अपेक्षा की जाएगी, जहां अंतरण कीमत का प्राथमिक समायोजन स्वप्रेरणा से किया गया है, या निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया है और उसके द्वारा स्वीकार किया गया है; या अधिनियम की धारा 92गग के अधीन उसके द्वारा किए गए अग्रिम मूल्याकन करार द्वारा अवधारित किया जाता है; या अधिनियम की धारा 92गख के अधीन विहित सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अनुसार किया जाता है; या अधिनियम की धारा 90 या 90क के अधीन किए गए करार के अधीन पारस्परिक करार प्रक्रिया के माध्यम से किसी निर्धारण के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप उद्भूत हुआ है।

उक्त उपधारा के परंतुक में उन दशाओं में छूट का उपबंध है, जहां किसी पूर्ववर्ती व-र्ा में किए गए प्राथमिक समायोजन की रकम एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं है; और प्राथमिक समायोजन 01 अप्रैल, 2016 को या इससे पूर्व आरंभ होने वाले निर्धारण व-र्ा की बाबत किया जाता है।

गौण समायोजन की व्यवस्था के प्रभावी रूप से प्रवर्त्तित करने के संबंध में कई शंकाएं व्यक्त की गई हैं और विधि को स्प-ट करने की ईप्सा की है।

उपरोक्त शंकाओं का निराकरण करने तथा गौण समायोजन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और इसका अनुपालन आसान करने के लिए, अधिनियम की धारा 92 गड़ का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि:-

(i) एक करोड़ रूपए की अवसीमा की शर्त और निर्धारण व-र्ा 2016-17 तक किए गए प्राथमिक समायोजन अनुकल्पी शर्तें हैं;

(ii) निर्धारिती के लिए आधिक्य धनराशि या उसके भाग पर ब्याज की संगणना करना अपेक्षित होगा;

(iii) इस धारा के उपबंध उन करारों पर लागू होंगे, जो 01 अप्रैल, 2017 को या इसके पश्चात् हस्ताक्षरित किए गए हैं; तथापि, पूर्व संशोधित धारा के अधीन उस तारीख तक पहले ही संदत्त करों का प्रतिसंदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

उपरोक्त पैरा (i) से (iv) में प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी प्रभाव 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण व-र्ा 2018-19 और पश्चातवर्त्ती व-र्ाों के संबंध में लागू होंगे।

इसके अतिरिक्त, पैरा (v) से (viii) में प्रस्तावित संशोधन सितम्बर, 2019 से प्रभावी होंगे।

(iv) निर्धारिती के सहयुक्त उपक्रमों में से किसी से, जो भारत में निवासी नहीं है, ऐसी आधिक्य धनराशि संप्रत्यवर्तित की जा सकेगी;

(v) ऐसे मामले में, जहां आधिक्य धनराशि या उसका भाग समय पर संप्रत्यवर्तित नहीं किया गया है, वहां निर्धारिती को ऐसी आधिक्य धनराशि या उसके भाग पर अठारह प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने का विकल्प इस अतिरिक्त कर के संदाय की तारीख तक ब्याज की संगणना करने की विद्यमान अपेक्षा के अतिरिक्त होगा। इस अतिरिक्त कर में बारह प्रतिशत के अधिभार द्वारा वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है;

(vi) इस प्रकार संदत्त कर, उस कर का अंतिम संदाय होगा और इस प्रकार संदत्त कर की रकम की बाबत कोई प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(vii) इस रकम की बाबत, जिस पर ऐसा कर संदत्त किया गया है, कटौती इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी; और

(viii) यदि निर्धारिती अतिरिक्त आय-कर का संदाय करता है, तो उसके लिए गौण समायोजन करना या ऐसे कर के संदाय की तारीख से ब्याज की संगणना करना अपेक्षित नहीं होगा।

[खंड 30]

निधियों की कतिपय साम्योन्मुख निधि पर अल्पकालीन पूंजी अभिलाभ कर की रियायती दर

केन्द्रीय लोक उपक्रमों के विनिधान के लिए गठित निधियों की प्रोत्साहन निधि के लिए वित्त विधेयक, 2018 में निधियों की ऐसी निधि इकाई के अंतरण के लिए दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ कर की रियायती दर का उपबंध किया गया है।

निधियों की इन निधियों को और प्रोत्साहित करने के लिए धारा 111क में संशोधन का प्रस्ताव है जिससे निधियों की ऐसी निधि के अंतरण की बाबत विस्तारित किया जा सके। अल्पकालीन पूंजी अभिलाभ कर की रियायती दर को विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चात्वर्ती व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 32]

अनुकल्पी विनिधान निधि के प्रवर्ग 1 और 2 के मामलों में हानियों को वहन करने के लिए उपबंध करना

अधिनियम की धारा 115 पख में, अन्य बातों के साथ, अनुकल्पी विनिधान निधि के प्रवर्ग 1 और 2 द्वारा अर्जित की गई आय, कारबार से आय के सिवाय जिस पर अनुकल्पी विनिधान निधि के स्तर पर कर लगता है, को वहन करने का उपबंध है। व्यष्टिक विनिधानकर्त्ताओं को लाभों को (कारबार से लाभ और अभिलाभ से भिन्न) वहन करने के लिए अनुज्ञात किया गया है जिससे उन्हें कर की कम दर, यदि लागू होती है, का फायदा दिया जा सके। विद्यमान व्यवस्था के अधीन हानियों का वहन करने का उपबंध नहीं है और वे अध्याय 6 के अनुसार अनुकल्पी विनिधान निधि के स्तर पर अग्रनीत और मुजरा किए जाने के लिए प्रतिधारित हैं।

अनुकल्पी विनिधान निधियों के प्रवर्ग 1 और 2 के सामने आने वाली वास्तविक कठिनाई को दूर करने के लिए धारा 115 पख में संशोधन का यह उपबंध करने के लिए प्रस्ताव है कि-

(i) विनिधान निधि की कारबार हानि, यदि कोई हो, को अग्रनीत किया जाना अनुज्ञात किया जाएगा और इसका अध्याय-6 के उपबंधों के अनुसार मुजरा किया जाएगा और इसे इकाई धारक पर सक्रांत नहीं किया जाएगा;

(ii) कारबार हानि से भिन्न हानि की, यदि कोई है, इसके इकाई-धारकों को वहन करने के प्रयोजार्थ भी अनदेखी की जाएगी, यदि ऐसी हानि ऐसी इकाई की बाबत उद्भूत हुई है, जिसे इकाई-धारक द्वारा कम-से-कम बारह माह की अवधि के लिए विधारित नहीं किया गया है;

(iii) विनिधान के स्तर पर 31 मार्च, 2019 को संचित कारबार से हानि, यदि कोई है, उस इकाई-धारक की हानि समझी जाएगी, जिसने विनिधान निधि में उसके द्वारा किए गए विनिधानों की बाबत 31, मार्च 2019 को इकाई को विधारित किया है और उसके द्वारा उस व-र्ा से संगणित शे-ा अवधि के लिए अग्रनीत किया जाना अनुज्ञात किया गया है जिस व-र्ा में वह हानि उस व-र्ा को प्रथम व-र्ा के रूप में लेते हुए हुई है और उसके द्वारा इसका अध्याय-7 के उपबंधों के अनुसार मुजरा किया जाएगा;

(iv) इकाई धारकों के हाथों में समझी गई हानि अध्याय-7 के प्रयोजनार्थ विनिधान निधि के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार, निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चात्वर्ती व-र्ाों को संबंध में लागू होंगे।

[खंड 38]

धारा 89 के अधीन उपबंधित प्रत्यय की राहत का उपबंध करना

आय-कर अधिनियम की धारा 89 में कर से राहत प्रदान करने के लिए उपबंध अंतर्वि-ट है, जहां वेतन आदि का संदाय बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाता है।

धारा 140क, धारा 143, धारा 234क, धारा 234ख और धारा 234ग के विद्यमान उपबंधों में पूर्व-संदत्त करों और कतिपय ग्राह्य राहतों, प्रत्ययों आदि के लिए प्रत्यय मंजूर करने के पश्चात् कर के दायित्व की संगणना करने से संबंधित कतिपय उपबंध अंतर्वि-ट हैं। तथापि, धारा 89 के अधीन राहत इन धाराओं में विनिर्वि-ट रूप से उल्लिखित नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे करदाताओं के मामले में, जो इस राहत के लिए पात्र हैं, वास्तविक कठिनाई होती है।

उपरोक्त को देखते हुए, धारा 140क, धारा 143, धारा 234क, धारा 234ख और धारा 234ग का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 89 के अधीन राहत मंजूर करने के पश्चात् कर के दायित्व की संगणना की जाए।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण व-र्ा 2007-08 और पश्चात्वर्त्ती वही निर्धारण व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 42,43,52,53 और 54]

शुद्ध आधार पर जीवन बीमा संदायों के गैर-छूट प्राप्त पर स्रोत पर कर कटौती

अधिनियम की धारा खक 194घक के अधीन, कोई व्यक्ति स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए बाध्य है, यदि वह किसी जीवन बीमा पालिसी, जो धारा 10 की उपधारा (10घ) के अधीन छूट प्राप्त नहीं है, के अधीन किसी निकासी को किसी राशि का संदाय करता है, विद्यमान अपेक्षा संदाय के समय ऐसी रकम की एक प्रतिशत की दर पर कर कटौती करने की है । कई शंकाओं को व्यक्त किया गया है कि सकल रकम पर कर कटौती से किसी निर्धारिती के लिए कठिनाईयां उत्पन्न होती है जिसे अन्यथा शुद्ध आय (अर्थात् प्राप्त कुल राशि पर उसके द्वारा बीमा प्रीमियम की रकम की कटौती करने के पश्चात्) पर अन्यथा कर का संदाय करना होता है । कर प्रशासन के दृ-टिकोण के साथ शुद्ध आय पर कटौती करना अधिमान्य है ताकि कटौतीकर्ता की स्रोत पर कर कटौती विवरणी का स्वतः निर्धारिती द्वारा फाइल की गई विवरणी के साथ मिलान किया जा सके । वह व्यक्ति पालिसी के अधीन किसी राशि का संदाय कर रहा है निर्धारिती द्वारा संदत्त बीमा प्रीमियम की रकम से भिन्न होता है । अतः किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त राशि के आय संघटक पर पांच प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती करों का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

[खंड 44]

अधिनियम की धारा 286 में "लेखांकन व-र्ा" की परिभा-ा के संबंध में स्प-टीकरण

अधिनियम की धारा 286 में किसी अन्तर्रा-ट्रीय समूह के संबंध में देश-दर-देश रिपोर्ट सीबीसीआर के रूप में अंतर्वि-ट रिपोर्ट की अवधि के संबंध में उपबंध अंतर्वि-ट हैं । यह उपबंध करती है कि भारत में निवासी मूल अस्तित्व या वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व रिपोर्टिंग लेखांकन व-र्ा के लिए उस अन्तर्रा-ट्रीय समूह के संबंध में जिसका वह संघटक है, विहित प्राधिकारी को उक्त रिपोर्ट किए जाने वाले लेखांकन व-र्ा के लिए उस प्ररूप और रीति में जो विहित किया जाए, से 12 मास की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

कई चितांओं को व्यक्त किया गया है कि भारत में निवासी रिपोर्टिंग अस्तित्व की दशा में जिसका वास्तविक मूल अस्तित्व भारत में निवासी नहीं है, लेखांकन व-र्ा सदा ही उस देश में जिसमें ऐसा वास्तविक मूल अस्तित्व निवासी है लागू लेखांकन व-र्ा होगा और भारत में निवासी अस्तित्व का पूरे व-र्ा लेखांकन व-र्ा में ही होगा । तद्नुसार यह अनुरोध किया गया है कि वैकल्पिक रिर्पोटिंग अस्तित्व की दशा में निर्वचन के संबंध में बिना किसी आशय के विसंगति को दूर किया जा सकता है ।

ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए और स्प-टता लाने के लिए यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी अंतरा-ट्रीय समूह के वैकल्पिक रिर्पोटिंग अस्तित्व की दशा में जिसका मूल अस्तित्व भारत में निवासी नहीं है रिपोर्टिंग लेखांकन व-र्ा वह व-र्ा होगा जो ऐसे मूल अस्तित्व को लागू है ।

यह संशोधन स्प-टीकारक प्रकृति का है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण व-र्ा 2017-18 और पश्चात्वर्ती निर्धारण व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 67]

झ. उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

कतिपय व्यक्तियों द्वारा दस्तावेजों के अनुसरक्षण रखे जाने और सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 92घ अन्य बातों के साथ अंतर्रा-ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दि-ट घरेलू संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा सूचना और दस्तावेजों के विहित रीति में अनुरक्षण और रखे जाने के लिए उपबंध करती है

धारा 92घ की उपधारा 1 उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अंतर्रा-ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दि-ट घरेलू संव्यवहार में प्रवि-ट हुआ है उनके संबंध में विहित सूचना और दस्तावेज रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा ।

1 अप्रैल, 2017 से वित्त अधिनियम 2016 द्वारा अंतःस्थापित उक्त धारा का परन्तुक उपबंध करता है कि अंतर्रा-ट्रीय समूह का संघटन अस्तित्व होने के नाते व्यक्ति ऐसी सूचना और दस्तावेजों को किसी अंतर्रा-ट्रीय समूह के संबंध में भी बनाए रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा जैसा कि विहित किया जाए । तद्नुसार नियम 10घक इस प्रयोजन के लिए विहित करते हैं कि अपेक्षित सूचना विहित प्ररूप में समेकित समूह राजस्व और अंतर्रा-ट्रीय शर्त के अधीन रहते हुए उपबंधित की जाएगी ।

अधिनियम की धारा 92क को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके किसी अंतर्रा-ट्रीय समूह के संघटक अस्तित्व द्वारा रखी जाने वाली और अनुरक्षित की जाने वाली सूचना और दस्तावेज तथा अपेक्षित प्ररूप का फाइल किया जाना तभी लागू होगा जब ऐसे संघटक अस्तित्व द्वारा कोई अंतर्रा-ट्रीय संव्यवहार नहीं किया गया है ।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी अंतर्रा-ट्रीय समूह के संघटक अस्तित्व द्वारा सूचना विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चात्वर्ती निर्धारण व-र्ाों के संबंध में लागू होगा ।

[खंड 31]

धारा 56 (2)(viiख) के अधीन जारी की गई छूट की अधिसूचना का अनुपालन

अधिनियम की धारा 56 (2)(viiख) के उपबंध कतिपय कंपनियों द्वारा शेयरों के पूरोधरण के लिए प्रतिफल प्रभारित करने का उपबंध करते हैं, जहां ऐसा प्रतिफल ऐसे शयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक होता है तथापि केन्द्रीय सरकार यह अधिसूचित करने के लिए सशक्त है कि इस धारा के उपबंध किसी अधिसूचित कंपनी द्वारा प्राप्त प्रतिफल को लागू नहीं होंगे । केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उपखंड के अधीन जारी कतिपय अधिसूचनाएं कतिपय शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए छूट का उपबंध करती हैं । अधिसूचना में विनिर्दि-ट शर्तों की अनुपालना को सुनिश्चित करने की दृ-टि से यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि शर्तों की अनुपालना में असफलता की दशा में शेयरों के पूरोधरण के लिए प्राप्त प्रतिफल जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक हो जाता है को कंपनी की पूर्व व-र्ा जिसमें ऐसी किसी शर्त की अनुपालना में असफलता हुई थी, के लिए आय कर से प्रभार्य आय समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चातवर्ती निर्धारण व-र्ाों के संबंध में लागू होगा ।

[खंड 21]

धारा 56 के पारिणामिक संशोधन

अधिनियम की धारा 56 के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ यह उपबंध करते हैं कि धारा 145क (ख) में निर्दि-ट प्रतिकर या बढ़े हुए प्रतिकर पर ब्याज के माध्यम से प्राप्त आय कर से प्रभार्य होगी । वित्त अधिनियम 2018 में धारा 145क के उपबंधों को धारा 145क और 145ख से प्रतिस्थापित कर दिया तथापि धारा 56 में कोई पारिणामिक संशोधन नहीं किया गया । अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 145क (ख)में विद्यमान निर्देश के स्थान पर धारा 56में धारा 145ख (1) के लिए सही निर्देश का उपबंध किया जा सके ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण व-र्ा 2017-18 और पश्चातवर्ती निर्धारण व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 21]

कम रिर्पोट की गई आय से संबंधित शास्ति उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 270क में आय की कम रिर्पोटिंग और गलत रिपोर्टिंग से संबंधित उपबंध अंतर्वि-ट हैं । विद्यमान उपबंध इस धारा के अधीन शास्ति के अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए विभिन्न स्थितियों का उपबंध करते हैं तथापि इन उपबंधों में आय की कम रिपोर्टिग का अवधारण करने के लिए और उस दशा में जब व्यक्ति ने आय की कम रिपोर्टिंग तथा अधिनियम की धारा 148 के अधीन पहली बार आय की विवरणी प्रस्तुत की है ,के लिए कोई तंत्र अंतर्वि-ट नहीं है ।

उस दशा में शास्ति की गणना करने की रीति का उपबन्ध करने के लिए जब व्यक्ति ने आय की कम रिर्पोटिंग की है और धारा 148 के अधीन पहली बार विवरणी प्रस्तुत की है, धारा 270क के उपबंधों का समुचित करने संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण व-र्ा 2017-18 और पश्चातवर्ती निर्धारण व-र्ाों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 61]

धारा 276गग के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 276गग के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ उपबंध करते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा आयकर विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए अभियोजन कार्यवाहियां समयक् समय में आय की विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए अग्रसर नहीं होंगी यदि ऐसे व्यक्ति, जो कंपनी नहीं है, द्वारा नियमित निर्धारण पर कुल आय पर अवधारित कर तीन रूपए से अधिक नहीं होता है । विद्यमान उपबंध स्रोत पर संग्रहीत कर को गणना में लेने का और कर दायित्व का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए स्वतः निर्धारण कर के लिए उपबंध नहीं करते हैं ।

चूंकि उक्त उपबंध का आशय हमेशा पूर्व संदत्त कर को संदेय कर का अवधारण करते हुए गणना में लेने का है, उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे विधायी आशय को स्प-ट किया जा सके और स्वतः निर्धारण कर, यदि कोई हो जिसका निर्धारण व-र्ा के समापन से पूर्व संदत्त और कर स्रोत से निर्धारित कर दायित्व के प्रयोजन के लिए संग्रहीत करें ।

इसके अतिरिक्त उक्त धारा के अधीन संदत्त कर की विद्यमान सीमा सुव्यवस्थीकरण के संबंध में, इसे विद्यमान तीन हजार रूपए से दस हजार रूपए से कर संदत्त की सीमा बढ़ाने के संबंध में उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण व-र्ा 2020-21 और पश्चातवर्ती व-र्ाों के संबंध में लागू होगा ।

[खंड 65]

विदेशी देशों के साथ करारों के अनुसरण में कर की वसूली से संबंधतित उपबंध का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 228क के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ उपबंध करते हैं कि जहां कोई करार आयकर अधिनियम के अधीन आयकर की वसूली किए जाने के लिए किसी विदेशी देश की सरकार के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवि-ट की गई और उस देश में लागू अनुरूप विधि और जहां ऐसे देश इंडिया में कोई संपत्ति किसी व्यक्ति से ऐसी अनुरूप विधि के अधीन किसी देय कर की वसूली के लिए कोई प्रमाणपत्र भेजता है, बोर्ड, ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर

वसूली अधकिारी को अग्रसित किया जाए, ऐसी संपत्ति जो उनके अधकिार क्षेत्र के भीतर ऐसे विदेशी देश के साथ करार के अनुसरण में कर की वसूली के लिए स्थित है ।

दूसरे देश के साथ बाध्य संधि के अनुसार कर की वसूली में सहायता उपबंध करने की दशा में, इसमें कर वसूली के लिए उपबंध के संबंध में उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जहां व्यक्तियों की संपत्ति के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, परंतु उक्त व्यक्ति भारत में निवासी हैं ।

उक्त धारा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे वहां वसूली कर का उपबंध किया जा सके, जहां अधिनियम के अधीन व्यतिक्रम में किसी निर्धारिती की संपत्ति के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, परंतु उक्त निर्धारिती विदेशी देश में कोई निवासी है ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

[खंड 51]

प्रतिदाय के दावे से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 239 के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, उपबंध करते है कि अधिनियम के अध्याय 19 के अधीन प्रतिदाय का प्रत्येक दावा विहित प्ररूप में किया जाएगा और विहित रीति में सत्यापित किया जाएगा ।

प्रतिदाय के दावे की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम के अध्याय 19 के अधीन प्रतिदाय का प्रत्येक दावा अधिनियम की धारा 139 के उपबंधों के अनुसार विवरणी देकर किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

[खंड 55]

अधिनियम की दूसरी अनुसूची के नियम 68ख के अधीन कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय के लिए समय की परिसीमा का वर्धन

अधिनियम की दूसरी अनुसूची के नियम 68ख के विद्यमान उपबंधों में उपबंध है कि कर, शास्ति आदि की वसूली के लिए कुर्क की गई स्थावर संपत्ति का कोई विक्रय, उस वित्तीय व-र्ा के अंत से तीन व-र्ा के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा, जिसमें आदेश के परिणामस्वरूप कोई कर, शास्ति आदि अंतिम हो गई है ।

राजस्व के हित की संरक्षा करने के लिए, विशे-ाकर उन मामलों में जहां, मांग को कार्यवाहियों की समाप्ति पर स्प-ट कर दिया गया है, पूर्वोक्त उपनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे परिसीमा की अवधि का तीन व-र्ा से विस्तार करके सात व-र्ा किया जा सके ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुर्क संपत्ति के विक्रय के लिए समयावधि की परिसीमा कर शोध्यों की वसूली में कोई रूकावट नहीं हो और इसका परिणाम सरकार को राजस्व की स्थायी हानि न हो, उक्त उपनियम में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, परिसीमा की पूर्वोक्त अवधि का तीन व-र्ा की और अवधि के लिए विस्तार कर सके ।

ये संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 68]

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 का सुव्यवस्थीकरण

काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 2 और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करते हैं कि "निर्धारिती" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 6 के अर्थांतर्गत भारत में निवासी है ।

काला धन अधिनियम, जो विदेशी आय और आस्तियों पर कर लगाने के लिए था, जिन्हें अधिनियम के अधीन कर से प्रभारित नहीं किया गया था, को अधिनियमित करने के पीछे विधायी आशय को स्प-ट करने के लिए उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "निर्धारिती" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पूर्वव-र्ा में आय-कर अधिनियम की धारा 6 के अर्थांतर्गत भारत में निवासी है या जो पूर्वव-र्ा में अधिनियम की धारा 6 के खंड (6) के अर्थांतर्गत भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, किन्तु उस पूर्वव-र्ा में भारत में निवासी था, जिससे धारा 4 में निर्दि-ट आय संबंधित है, उस पूर्वव-र्ा में, जिसमें भारत के बाहर स्थित अप्रकटित आस्ति अर्जित की गई है । यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि भारत के बाहर स्थित अप्रकटित आस्ति का अवधारण काला धन अधिनियम की धारा 72(ग) के उपबंधों को प्रभाव दिए बिना किया जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, काला धन अधिनियम की धारा 10 में एक स्प-टीकारक संशोधन किए जाने का भी प्रस्ताव है, जिससे उक्त धारा की उपधारा (3) और उपधारा (4) में "पुनर्निर्धारित" और "पुनर्निर्धारण" पदों को सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जुलाई, 2015 से प्रभावी होगा ।

[खंड 195 और 196]

काला धन अधिनियम की धारा 84 के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, आय-कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों के आवश्यक उपांतरणों सहित, काला धन अधिनियम को लागू होने के लिए उपबंध करते हैं ।

काला धन अधिनियम के अधीन निर्धारित मामलों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनियम की धारा 144क के उपबंध आवश्यक उपांतरणों सहित, काला धन अधिनियम को लागू होंगे ।

[खंड 198]

इसके अतिरिक्त, काला धन अधिनियम की धारा 17 में एक स्प-टीकारक संशोधन किए जाने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह स्प-ट किया जा सके कि आयुक्त (अपील) शास्ति आदेश को इस प्रकार परिवर्तित कर सकेगा, जिससे शास्ति में अभिवृद्धि की जा सके या उसे कम किया जा सके ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

[खंड 197]

आय घो-णा स्कीम 2016 का सुव्यवस्थीकरण

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 187 के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करते हैं कि आय घो-णा स्कीम 2016 (स्कीम) के अधीन घोि-त अप्रकटित आय की बाबत कर, उपकर और शास्ति का संदाय अधिसूचित देय तारीख को या उससे पहले किया जाएगा ।

घो-णाकर्ताओं की वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए, उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कर, उपकर और शास्ति का संदाय देय तारीख के भीतर नहीं किया गया है, वहां केंद्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों के वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो अधिसूचित तारीख को या उससे पहले ऐसी रकम, देय तारीख के ठीक पश्चात् प्रारंभ होने वाली और ऐसे संदाय की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में प्रत्येक मास या अवधि में समाहित मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ऐसी रकम पर ब्याज सहित संदाय कर सकेंगे ।

इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 191 के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करते हैं कि स्कीम के अधीन की गई किसी घो-णा के अनुसरण में कर, उपकर या शास्ति की कोई रकम प्रतिदेय नहीं होगी ।

घो-णाकर्ताओं की वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए, उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों के वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जिन्हें इस स्कीम के अधीन कर, उपकर और शास्ति की संदेय रकम से अधिक रकम का संदाय प्रतिदेय होगा ।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

[खंड 199 और 200]

प्रतिभूति संव्यवहार कर से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 99 के विद्यमान उपबंधों के अनुसार प्रतिभूतियों में विकल्प के विक्रय के संबंध में कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य, जहां विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तय की गई कीमत होगी ।

प्रतिभूति संव्यवहार कर से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण करने के लिए, जहां विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रतिभूतियों में विकल्प के विक्रय के संबंध में, जहां विकल्प का प्रयोग किया जाता है, कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य तय की गई कीमत और अंतरस्थ मूल्य का अंतर होगा ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

[खंड 193]

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रति-ोध अधिनियम के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रति-ोध अधिनियम की धारा 23 के विद्यमान उपबंधों में उपबंधित है कि अनुमोदन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से प्रारंभक अधिकारी, जांच या अन्वे-ाण संचालित करेगा । यह शक्ति प्रारंभक अधिकारी द्वारा वहां प्रयोग की जाएगी, जहां उसके समक्ष कोई मामला लंबित नहीं है, तथापि, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रति-ोध अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से यह उपबंधित नहीं है कि अनुमोदन अधिकारी का पूर्व अनुमोदन वहां अपेक्षित नहीं होगा, जहां प्रारंभक अधिकारी ने धारा 24(1) के अधीन सूचना जारी करके पहले ही कार्यवाहियां संस्थित कर दी है ।

यह स्प-ट करने के लिए कि अनुमोदन अधिकारी का पूर्व अनुमोदन वहां अपेक्षित नहीं होगा, जहां प्रारंभक अधिकारी ने धारा 24(1) के अधीन सूचना जारी कर दी है, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रति-ोध अधिनियम की धारा 23 का उपयुक्त रूप से संशोधन करना प्रस्तावित है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 नवंबर, 2016 से प्रभावी होगा ।

[खंड 172]

इसके अतिरिक्त, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रति-ोध अधिनियम की धारा 24(3) में, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रति-ोध अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन सूचना जारी किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर संपत्ति की कुर्की करने का उपबंध है । धारा 24(4), धारा 24(1) के अधीन सूचना जारी किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर आदेश पारित करने का उपबंध करती है ।

उपरोक्त उपबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए, धारा 24 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 24(3) के अधीन संपत्ति की अनन्तिम कुर्की और धारा 24(4) के अधीन पारित आदेश के संबंध में नब्बे दिन की अवधि के गणना उस मास की समाप्ति से जाएगी, जिसमें धारा 24(1) के अधीन सूचना जारी की गई है ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

[खंड 173]

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रति-ोध अधिनियम की धारा 24(4) के विद्यमान उपबंध प्रारंभक अधिकारी द्वारा पारित आदेश के लिए, धारा 24(5) के विद्यमान उपबंध प्रारंभक अधिकारी द्वारा प्रति निर्देश करने के लिए और धारा 26(7) के विद्यमान उपबंध न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश के लिए, उपबंध करते हैं । तथापि, उस अवधि , जिसके दौरान न्यायालय द्वारा कार्यवाहियों पर रोक लगाई जाती है, को छोड़ने के लिए कोई उपबंध नहीं है । प्रति निर्देश करने या आदेश पारित करने का पर्याप्त समय देने और छोड़ने का उपबंध करने के लिए, धारा 24 और धारा 26 के उपबंधों का उपयुक्त रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

[खंड 173 और 174]

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रति-ोध अधिनियम के अधीन जारी किए गए समनों और अपेक्षित सूचनाओं की अनुपालना को सुनिश्चित करने की दृ-टि से, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रति-ोध अधिनियम में नई धारा 54क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रति-ोध अधिनियम की क्रमशः धारा 19 या धारा 21 के अधीन जारी किए गए समनों की अनुपालना या सूचना प्रस्तुत करने में असफलता की दशा में पच्चीस हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

[खंड 175]

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रति-ोध अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी प्राधिकारी की अभिरक्षा में अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति की साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता सुनिश्चित करने की दृ-टि से, उक्त अधिनियम में एक नई धारा 54ख अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी प्राधिकारी की अभिरक्षा में अभिलेखों की प्रवि-टियां या अन्य दस्तावेज, बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रति-ोध अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के अभियोजन की किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्रहण की जाएंगी ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा ।

[खंड 175]

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रति-ोध अधिनियम की धारा 55 के विद्यमान उपबंधों में उपबंध है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत कोई भी अभियोजन, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा । उपबंधों को सुव्यवस्थित करने की दृ-टि से,उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत कोई भी अभियोजन, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2019 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 176]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विशे-ा उपक्रम को कर छूट का विस्तार

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विशे-ा उपक्रम का भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 द्वारा सृजित हुआ था । भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विशे-ा उपक्रम भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उत्तराधिकारी है । भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विशे-ा उपक्रम का परमादेश, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कारण सरकारी दायित्व परिसमापन किए जाने के लिए है । भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विशे-ा उपक्रम को व्युत्पन्न किसी आय, लाभ या अभिलाभ या विशे-ा उपक्रम की बाबत प्राप्त किसी रकम के संबंध में, 31 मार्च, 2019 तक आय-कर या किसी अन्य कर से छूट प्राप्त है । छूट को दो व-र्ा की और अवधि के लिए 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

[खंड 186]

सीमाशुल्क

टिप्पण : (क) ''आधारिक सीमाशुल्क'' से सीमाशुल्क अधिनियम, **1962** के अधीन उद्ग्रहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है ।

(ख) ''निर्यात शुल्क'' से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, **1975** की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर उद्ग्रहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है ।

(ग) ''सड़क और अवसंरचना उपकर'' से वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 111 के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है ।

(घ) वर्ग कोष्ठकों में खंड संख्यांक, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 के सुसंगत खंड को इंगित करते हैं ।

(ङ) वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, **2019** के माध्यम से किए गए संशोधन इसके अधिनियमन की तारीख को प्रभावी होंगे, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ।

I. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन :

क्रम सं0	संशोधन	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 के खंड
1	धारा 41 का संशोधन इसलिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्थान सूची प्रस्तुत करने की सुविधा प्रवहण के भारसाधक व्यक्ति के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य व्यक्ति को भी दी जाएगी ।	[69]
2	एक नया अध्याय 12ख ''पहचान और अनुपालन के सत्यापन'' के नाम से अंतःस्थापित किया जा रहा है । इस अध्याय के अधीन पुरःस्थापित नई धारा 99ख, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकारी राजस्व के हित के संरक्षण और तस्करी के निवारण के प्रयोजनों के लिए या सीमाशुल्क अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित अधिकारी द्वारा व्यक्तियों के सत्यापन के लिए सीमाशुल्क के उचित अधिकारी को सशक्त करने के लिए है । किसी व्यक्ति का आधार संख्यांक या किसी ऐसे अन्य वैकल्पिक माध्यम और विनियम के माध्यम से विहित किसी पहचान के ठोस साधन से सत्यापन करने का प्रस्ताव है । यह, अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड को विनियम बना कर ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों, जिनका उक्त सत्यापन के अधीन जाना अपेक्षित नहीं है, को छूट देने के लिए सशक्त बनाता है ।	[70]
3	धारा 103 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि-- (क) सीमाशुल्क उप-आयुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से धारा 100 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास उसके अपने शरीर के भीतर छिपाए गए अधिहरण के लिए दायी कोई माल है, उसे स्कैन करने या उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए उचित अधिकारी को समर्थ बनाने के लिए उपधारा (1) का प्रतिस्थापित किया जा सके । उचित अधिकारी उक्त स्क्रीनिंग या स्कैनिंग की रिपोर्ट को सीधे नजदीकी मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत कर सकता है, यदि पाया गया ऐसा माल उक्त व्यक्ति के शरीर के अंदर छिपाया गया था । (ख) उपधारा (6) के अधीन मजिस्ट्रेट को उचित अधिकारी द्वारा स्कैनिंग या स्क्रीनिंग की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने हेतु समर्थ बनाया जा सके ।	[71]
4	धारा 104 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि,-- (क) उपधारा (1) के अधीन, सीमाशुल्क अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने भारत या भारतीय सीमाशुल्क सागर खंड से बाहर अपराध किया है, गिरफ्तार करने के लिए सशक्त बनाया जा सके । (ख) उन दो विशिष्ट अपराधों को विनिर्दिष्ट करने के लिए, जो संज्ञेय होंगे, उपधारा (4) में दो नए खंड (ग) और खंड (घ) अंतःस्थापित किया जा सके । (ग) उस विशिष्ट अपराध को विनिर्दिष्ट करने के लिए, जो अजमानतीय होगा, उपधारा (6) में एक नया खंड (ङ) अंतःस्थापित किया जा सके । (घ) लिखत पद को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके ।	[72]
5	धारा 110 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि,-- (क) उपधारा (1) के विद्यमान परंतुक को दो परंतुकों से प्रतिस्थापित किया जा सके और उन परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट किया जा सके जिनमें अभिगृहीत माल की अभिरक्षा कतिपय व्यक्ति को दी जा सके । संशोधन उन दशाओं को विनिर्दिष्ट करने के लिए भी है जिनमें ऐसे माल की अभिरक्षा, जहां ऐसे माल का अभिग्रहण ा करना साध्य नहीं है, कतिपय व्यक्तियों को दिया जा	[73]

	सकता है । (ख) एक नई उपधारा (5) अंतःस्थापित की जा सके जिससे सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए किसी बैंक खाते की अनंतिम कुर्की की अवधि को बढ़ा सकेगा और ऐसे व्यक्ति को सूचित कर सकेगा, जिसका बैंक खाता इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व अनंतिम रूप से कुर्क किया जाता है ।	
6	धारा 110क का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कतिपय शर्तों के पूरा किए जाने पर धारा 110 के अधीन अनंतिम रूप से कुर्क किए गए बैंक खाते को स्वामी को निर्मुक्त करने के संबंध में सशक्त किया जा सके ।	[74]
7	एक नई धारा 114कख को अंतःस्थापित किया जा रहा है जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने किसी लिखत को कपटपूर्वक दुरभिसंधि जानबूझकर मिथ्या कथन करके या तथ्यों को छिपाकर अभिप्राप्त किया है और ऐसे लिखत का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर्तव्य के निर्वहन के लिए किया गया है, ऐसा व्यक्ति, जिसको लिखत जारी की गई थी, ऐसी लिखत के अंकित मूल्य से अनधिक की शास्ति के लिए दायी बनाया जा सके । `लिखत' पद को परिभाषित करने लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा रहा है ।	[75]
8	धारा 117 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि शास्ति की अधिवलाम सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर चार लाख रुपए किया जा सके ।	[76]
9	धारा 125 के पहले परंतुक का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि अधिहरण के बदले में कोई जुर्माना धारा 28 के अधीन बंद समझे गए मामलों के संबंध में अधिरोपित नहीं किया जाएगा ।	[77]
10	धारा 135 की उपधारा (1) का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि,-- (क) किसी प्राधिकारी से कपटपूर्वक, दुरभिसंधि, जानबूझकर मिथ्या कथन करके या तथ्यों को छिपाकर कोई लिखत प्राप्त करने के लिए, जहां ऐसी लिखत का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, जो दंडनीय अपराध है, इसमें एक नया खंड (ङ) अंतःस्थापित किया जा सके । (ख) कपटपूर्वक, दुरभिसंधि, जानबूझकर मिथ्या कथन करके या तथ्यों को छिपाकर कोई लिखत, किसी प्राधिकारी से अभिप्राप्त करने के लिए मद (i) के अधीन एक नया खंड (ङ) अंतःस्थापित किया जा सके, जहां ऐसी लिखत का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है, जो दंडनीय अपराध है, यदि लिखत के उपयोग से संबंधित शुल्क पचास लाख रुपए से अधिक है । (ग) लिखत पद को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जा सके ।	[78]
11	धारा 149 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि बोर्ड को किसी दस्तावेज के संशोधन के लिए समय, रीति और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ।	[79]
12	धारा 157 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि क्रमशः नई धारा 99ख और धारा 149 के प्रयोजनार्थ विनियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त किया जा सके ।	[80]
13	धारा 158 की उपधारा (2)का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि किन्हीं नियमों या विनियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए शास्ति की अधिकतम सीमा को पचास हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए किया जा सके ।	[81]

II. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन :

क्रम सं0	**संशोधन**	**वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 के खंड**
1	धारा 9 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि प्रति शुल्क के मामले में प्रवंचनारोधी उपाय का उपबंध करने के लिए उपधारा (1क) अंतःस्थापित की जा सके ।	[85]
2	धारा 9ग का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि विद्यमान डिग्री के संबंध में अवधारण के आदेश या उसके पुनर्विलोकन और सुरक्षा शुल्क के अधिरोपण की अपेक्षा करने वाले किसी वस्तु के	[86]

	आयात की बढ़ी हुई मात्रा के प्रभाव के विरुद्ध सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के समक्ष अपील का उपबंध किया जा सके ।	

III. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन

	संशोधन			
क.	**आधारिक सीमा-शुल्क की बदली हुई टैरिफ दर [06.07.2019 से प्रभावी होंगी]* [वित्त अधिनियम (संख्यांक-2) विधेयक, 2019 के खंड [87(क)]]**		**शुल्क की दर**	
क्र.सं.	**शीर्षक, उप-शीर्षक टैरिफ मद**	**वस्तु**	**से**	**तक**
		निर्माण सामग्री		
1	3918	प्लास्टिक की फर्श की बिहायतें, प्लास्टिक की दीवार या छत की बिहायतें	10%	15%
2	6905, 6907	चीनी मिट्टी की छत की टाइलें, चीनी मिट्टी की पट्टियां और खड़ंजे, चूल्हा और दीवार टाइलें	10%	15%
3	8302	आधार धातु फिटिंग्स, आरोपण और आटो मोबाईल हेतु फर्नीचर दरवाज़े, सीढ़ियां, खिड़कियां ब्लाइंड, कब्जे के लिए उपयुक्त इसी प्रकार की वस्तुएं	10%	15%
		बहुमूल्य धातुएं		
4	7106	रजत (जिसके अंतर्गत स्वर्ण या प्लेटिनम लेपित रजत है) अनगढ़ या अर्धविनिर्मित रूप में या चूर्ण रूप में	10%	12.5%
5	7107 00 00	रजत से अधिपट्टित आधार धातु, जो अर्धनिर्मित से भिन्न और कर्मित नहीं है	10%	12.5%
6	7108	स्वर्ण (जिसके अन्तर्गत प्लेटिनम से लेपित स्वर्ण भी है) अनगढ़ या अर्ध-विनिर्मित रूप में या चूर्ण रूप में	10%	12.5%
7	7109 00 00	स्वर्ण से अधिपट्टित आधार धातु या रजत जो अर्धनिर्मित से भिन्न और कर्मित नहीं है	10%	12.5%
8	7110	प्लेटिनम, अनगढ़ या अर्ध-विनिर्मित रूप में या चूर्ण रूप में	10%	12.5%
9	7111 00 00	प्लेटिनम से अधिपट्टित आधार धातु रजत या स्वर्ण जो अर्धनिर्मित से भिन्न और कर्मित नहीं है	10%	12.5%
10	7112	बहुमूल्य धातु का अपशिष्ट और स्क्रैप	10%	12.5%
		आटोमोबाइल पुर्जे		
11	6813	घर्षण सामग्री और उसकी वस्तएं (उदाहरण के लिए चादर, रोल, पट्टियां खंड चलिका, वाशर, पैड) जो आरोधर (मेक) के लिए, क्लचों के लिए है या उसी प्रकार की वस्तुओं के लिए अनारुढ़ है, एस्बेस्टास के, अन्य खनिज पदार्थों के या सेलूलोज के आधार सहित है चाहे टेक्सटाईल या अन्य सामग्री से संयुक्त हैं या नहीं	10%	15%
12	7009	कांच के दर्पण, चाहे फ्रेम लगे हैं या नहीं, जिसके अन्तर्गत पश्चदृश्य दर्पण है	10%	15%
13	8301 20 00	मोटर यानों में प्रयुक्त किसी प्रकार के ताले	10%	15%
14	8421 23 00	अन्तर्दहन इंजन के लिए तेल या पैट्रोल वायु फिल्टर	7.5%	10%
15	8421 31 00	अन्तर्दहन इंजन के लिए अन्तर्गृहीत वायु फिल्टर	7.5%	10%
16	8421 39 20, 8421 39 90	वायु शोधित या निर्मलित और उत्प्रेरक परिवर्तित से भिन्न मशीनरी और गैसों के उपकरणों के शोधित या निर्मलित	7.5%	10%
17	8512 10 00, 8512 20 10,	साइकलों या मोटरयानों में प्रयुक्त किये जाने वाले विद्युत प्रकाश और दृश्य संकेतक उपस्कर	10%	15%

	8512 20 20			
18	8512 20 90, 8512 30 90	साइकलों या मोटरयानों के लिए अन्य दृश्य या ध्वनि संकेतक उपस्कर	7.5%	15%
19	8512 30 10	मोटरयानों के लिए हार्न	10%	15%
20	8512 90 00	साइकलों या मोटरयानों के लिए दृश्य या ध्वनि संकेतक उपस्करों के पुर्जे	7.5%	10%
21	8512 40 00, 8539 10 00, 8539 21 20, 8539 29 40	आटोमोबाइल के लिए विंडस्क्रीन वाइपर वितुपारित और विकुहारित, सीलबंद वितरणपुंज लैम्प इकाईयां और अन्य लैम्प	10%	15%
22	8706	शीर्षक 8701 से 8705 तक के मोटरयानों के लिए, ऐसे चेसिस जिसमें इंजन फिट किये गये हैं	10%	15%
23	8707	शीर्षक 8701 से 8705 तक के लिए मोटरयानों की बाड़ी (जिसमें कैब भी है)	10%	15%
		इलैक्ट्रानिक और इलैक्ट्रिक उपस्कर		
24	8415 90 00	एयर कंडीशनरों की इनडोर और आउटडोर इकाई	10%	20%
25	8518 21 00, 8518 22 00	लाउडस्पीकर, चाहे वे अपने आवेटनों में आरूढ़ है या नहीं	10%	15%
26	8521 90 90	डिजिटल विडियो रिकार्डर (डीवीआर) और नेटवर्क विडियो रिकार्डर (एनवीआर)	15%	20%
27	8525 80	सीसीटीवी कैमरा और आईपी कैमरा	15%	20%
28	9001 10 00	प्रकाशिक फाइबर, प्रकाशिक फाइबर बण्डल और केबल	10%	15%
	टैरिफ अनुसूची में प्रकीर्ण परिवर्तन			
29	9804	अध्याय टिप्पण 7 को अध्याय 98 के अन्तः स्थापित किया जाए जिससे कि शीर्षक 9804 के दायरे से व्यैक्तिक उपयोग के लिए आयात की गई मुद्रित पुस्तकों को बाहर किया जा सके। यह शीर्षक व्यैक्तिक उपयोग के लिए आयात की गई सभी देय-शुल्क वस्तुओं को आच्छादित करता है और 28% आईजीएसटी लगाता है। यह संशोधन इस शीर्ष से मुद्रित पुस्तकों को अपवर्जित कर देगा और वे मुद्रित पुस्तकों पर सीमा शुल्क तथा आईजीएसटी की मेरिट दर के अध्यधीन होंगी।		
ख	**संशोधन शुल्क की दरों को प्रभावित नहीं करता [वित्त (संख्यांक-2) विधेयक, 2019 का खंड 87(ख)]**			
30	सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची संशोधित किए जाने हेतुः (i) विनिर्दिष्ट उत्पादनों के लिए सृजित विनिर्दिष्ट टैरिफ पंक्ति वर्तमान में जैसाकि अन्य में वर्गीकृत किया गया है; (ii) एचएसएन के साथ इसकी पंक्ति की त्रुटि को सुधारना। ये परिवर्तन शासकीय राजपत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की तारीख से प्रभाव में आएंगे।			

* अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के मद्दे तुरंत प्रभावी होंगे ।

IV. मूल सीमा-शुल्क दरों में सम्मिलित अन्य प्रस्तावों में परिवर्तन और अपनी-अपनी अधिसूचनाओं में स्पष्टीकारक संशोधन

क्र.सं.	शीर्षक उप-शीर्षक टैरिफ मद	वस्तु	से	तक
		रक्षा		
1	कोई भी अध्याय	विनिर्दिष्ट रक्षा उपकण और रक्षा मंत्रालय या सशस्त्र बलों द्वारा आयात किए गए उनके पुर्जे	लागू दर	शून्य

		चिकित्सा डिवाईसिज		
2	कोई भी अध्याय	कृत्रिम गुर्दे कृत्रिम गुर्दे के प्रयोज्य स्टेरलाईज्ड डेलेजर और माइक्रो-बेरियर के लिए कच्ची सामग्री	लागू दर	शून्य
		खाद्य प्रसंस्करण		
3	0801 32 10	काजू गिरी टूटी हुई	60 रुपए कि.ग्रा. या 45 प्रतिशत, जो भी अधिक हो	70%
4	0801 32 20, 0801 32 90	काजू गिरी साबुत, काजू छिलका, अन्य	75 रुपए कि.ग्रा. या 45 प्रतिशत, जो भी अधिक हो	70%
		नाभिकीय इंधन और नाभिकीय ऊर्जा परियोजना		
5	2612 10 00	नाभिकीय शक्ति के उत्पादन के लिए यूरेनियम अयस्क और सांद्र के सभी आकार	2.5%	शून्य
6	2844 20 00	नाभिकीय शक्ति के उत्पादन में उपयोग के लिए सभी सामान (उसी प्रकार कतिपय समान प्राकृतिक यूरेनियम डाइआक्साइड कैल्शियम युक्त चट्टान को पहले ही छूट दी गई है।	7.5%	शून्य
7	9801	परियोजना के अधीन निम्नलिखित पावर परियोजनाओं की स्थापना किए जाने के लिए अपेक्षित सभी सामान आयात : क) माही बंसवारा परमाणु पावर परियोजना - 1 से 4, माही बंसवारा राईट राजस्थान ख) कैगा पावर परियोजना - 5 और 6, कैगा साईट कर्नाटक ग) गोरखपुर पावर परियोजना - 3 और 4 जीएचएवीपी, हरियाणा घ) चुटका पावर परियोजना - 1 और 2, चुटका साईट, मध्यप्रदेश	लागू दर	शून्य
		तेल और संबद्ध रसायन		
8	अध्याय 15, 2915 70, 3823 1100, 3823 1200, 3823 1300, 3823 1900	स्टीयरीन और अन्य तेल, जिसमें 20% या अधिक वसीय अम्ल पाल्म वसायुक्त अम्ल आस्रुत) और ओलियोकेमिकल और साबुन के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त औद्योगिक मोनोकार्बोसाइलिक वसायुक्त अम्ल	शून्य	7.5%
		पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल		
9	2709 00 00	पेट्रोलियम कच्चा	शून्य	1 रु. प्रति टन
10	2710	नेपथा	5%	4 %
11	2903 15 00	ईकीलीन डिक्लोराईड (ईडीसी)	2%	शून्य
12	2910 20 00	मेथीलोक्सीरीन (प्रोपलीन ओक्सीड)	7.5%	5%
13		प्लास्टिक और रबर		
14	3904	पालीविन क्लोराइड	7.5%	10%
15	3926 90 91, 3926 90 99	प्लास्टिक के पदार्थ	10%	15%
16	4002 31 00	बूटल रबर	5%	10%
17	4002 39 00	हालो बूटल रबर	5%	10%

		कागज और कागज उत्पादक		
18	48	कागज के सभी प्रकार (रद्दी कागज से भिन्न) जिनको अब तक छूट थी।	शून्य	10%
19	4901 10 10, 4901 91 00, 4901 99 00	मुद्रित पुस्तकें	शून्य	5%
		वस्त्र		
20	5101	ऊन वस्त्र	5%	2.5%
21	5105	ऊन टाप्स	5%	2.5%
		फर्श सामग्री		
22	2515 12 20, 6802 10 00, 6802 21 10, 6802 21 20, 6802 21 90, 6802 91 00, 6802 92 00	मार्बल सिलियां	20%	40%
		प्रकाशिक फाइबर के इन-पुट		
23	28 या 70	सिलिका के पूर्वगठन के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री:- (i) प्रशीतित हिलियम द्रव्य (2804 29 10) (ii) सिलिकन टेट्रा क्लोराइड और जरमेनियम टेट्रा क्लोराइड (2812 19 20) (iii) सिलिका रॉडस (7002 20 90) (iv) सिलिका ट्यूब (7002 31 00)	लागू दर	शून्य
24	5603 94 00	प्रकाशिक फाइबर केबल के विनिर्माण के लिए जल रोधक टेप	शून्य	20%
		बहुमूल्य धातुएं		
25	7106	रजत डोर छड़, जिनकी रजत मात्रा 95 प्रतिशत से अधिक नहीं है	8.5%	11%
26	7108	स्वर्ण डोर छड़, जिनकी स्वर्ण मात्रा 95 प्रतिशत से अधिक नहीं है	9.35%	11.85%
27	71 या 98	(क) पात्र यात्री द्वारा सामान के रूप में अयातित स्वर्ण (2 रत्नों या मोतियों से जड़ित आभूषणों को छोड़कर) (ख) पात्र यात्री द्वारा सामान के रूप में आयातित रजत (2 रत्नों या मोतियों से जड़ित आभूषणों को छोड़कर)	10%	12.5%
		लौह और इस्पात, अन्य आधारिक धातुएं		
28	7218	स्टेनलेस इस्पात, पिंड़ों या अन्य प्राथमिक रूपों में; स्टेनलेस इस्पात के अर्धपरिसज्जित उत्पाद	5%	7.5%
29	7224	अन्य मिश्रातु इस्पात पिंड़ों या अन्य प्राथमिक रूपों में; अन्य मिश्रातु इस्पात के अर्ध-परिसज्जित उत्पाद	5%	7.5%
30	7225, 7225 19 90	सीआरजीओ इस्पात के विनिर्माण के लिए इनपुटः- क) मेगनिशियम ऑक्साइड लेपित शीतन वेल्लित इस्पात कुंडलियां ख) तप्प वेलित कुंडलियां ग) शीतन वेल्लित मेगनिशियम आक्साइड लेपित और तापानुशीतित इस्पात घ) तप्त वेल्लित तापानुशीतित और अम्लौपचारित कुंडलियां ड) शीतित बेलन पूर्ण रूप से दृढ़	5%	2.5%

31	7226 99 30	अनाकार मिश्रातु पट्टिका	10%	5%
32	7229	अन्य मिश्रातु इस्पात के तार (आईएनवीएआर से भिन्न)	5%	7.5%
33	8105 20 10	कोबाल्ट मैट और कोबाल्ट धात्विकी के अन्य मध्यवर्ती उत्पाद	5%	2.5%
		पूंजीगत माल		
34	8474 20 10	सड़क निर्माण के लिए पत्थर संदलित सयंत्र (शंकु प्रकार के)	शून्य	7.5%
35	82, 84, 85 या 90	निम्नलिखित इलैकट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त पूंजीगत माल, अर्थात्- (i) पापुलेटिड पीसीबीए (ii) सेल्यूलर मोबाइल फोन के केमरा मोड्यूल (iii) चार्जर/सेल्यूलर मोबाइल फोन के अडेप्टर (iv) लिथियम इयोन सैल (v) डिस्पले मोड्यूल (vi) सेट टॉप बाक्स (vii) काम्पेक्ट केमरा मोड्यूल	लागू दर	शून्य
36	84, 85 या 90	विनिर्दिष्ट इलैकट्रानिक मदों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त पूंजी माल, अर्थात्- (i) कैथोड़ किरण नलिका (ii) सीडी/सीडी-आर/डीवीडी/डीवीडी-आर; (iii) विक्षेपित घटक, सीआरटी मानिटर/सीटीवी; (iv) प्लाजमा डिस्पले पेनल	शून्य	लागू
		इलैक्ट्रोनिक्स		
37	8504 40	सीसीटीवी केमरा/आईपी केमरा/डीवीआर/एनवीआर के लिए चार्जर/पावर एडेप्टर	शून्य	15%
38	85	विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक वस्तुएं जैसे प्लग, सॉकेट, स्विच, रिले	शून्य	लागू दर
		मोटर और मोटर के पुर्जे		
39	8421 39 20, 8421 39 90	उत्प्रेरक परिवर्तित्र (उत्प्रेरक परिवर्तित्र को छोड़कर इन टैरिफ मदों के अधीन सभी माल 7.5% पर जारी रहेंगे)	5%	10%
40	8702, 8704	शीर्षक 8702, 8704 के अधीन निम्नलिखित यानो के पूर्णतः निर्मित यूनिट (सीबीयू) की आयात	25%	30%
41	कोई अध्याय	विद्युत यानों के निम्नलिखित पुर्जे : - (i) ई-ड्राइव एसेंबली, (ii) ऑन-बोर्ड चार्जर (iii) ई-कम्प्रेसर और (iv) चार्जिंग गन	लागू दर	शून्य
42	87	हाइब्रिड यानों के पुर्जों के लिए बीसीडी से विद्यमान छूट की बाबत विहित वास्तविक प्रयोक्ता शर्त	-	-
		तैलीय गवेषणा के लिए प्रयुक्त तैलीय साजो-सामान और अन्य माल		
43	84 या कोई अन्य अध्याय	पट्रोलियम संक्रियाओं/कोयला संस्तरण मिथेन संक्रियाओं के लिए आयातित अप्रयोज्य और विकृत माल पर संव्यवहार मूल्य पर बीसीडी के संदाय के लिए विकल्प प्रदान करना	अवमूल्यित मूल्य पर लागू दर	संव्यवहार मूल्य पर 7.5%
		खलों के सामान के लिए आयात संप्रवर्तन		
44	39, 4407	फोम/इवीए फोम (39) और चीड़ काएएठ (4407) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में आयात किए गए खेल के सामान के एफओबी मूल्य के 3 प्रतिशत तक के शुल्क रहित निर्यात के लिए मंजूर मदों की सूची में सम्मिलित की जा रही हैं।	लागू दर	शून्य

	मूलभूत सीमा-शुल्क के संबंध में स्पष्टीकरण और प्रकीर्ण परिवर्तन			
		मत्स्य		
45	2309	यह स्पष्ट किया जाएगा कि झींगा और झींगा लारवा, गुटिका रूप को छोड़कर, पर भी गुटिका रूप के अन्य मत्स्य खाद्य पर लागू 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लागू होगा।		

V. निर्यात शुल्क दरों में परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव

क्र.सं.		निर्यात शुल्क में परिवर्तन	से	तक
1	41	ईआई शोधित चर्म	15%	शून्य
2	41	सभी प्रकार की खाल, चमड़ी और चमड़ा, शोधित और अशोधित	60%	40%

VI. वित्त अधिनियम, 2018 की छठी अनुसूची के संशोधन

क्र.सं.	**पैट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त सीमा-शुल्क के रूप में उद्ग्रहीत [6.7.2019 से प्रभावी] सड़क और अवसंरचना उपकर की अनुसूचित दर में संशोधन [वित्त (संख्यांक-2) विधेयक, 2019 के खंड [201] (प्रभावी दर VII - में यथा वर्णित अधिसूचना द्वारा विहित है)**	**शुल्क की दर**	
		से	**तक**
1	सामान्यतया पट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्पिरिट	8 रुपए प्रति लीटर	10 रुपए प्रति लीटर
2	उच्च गति डीजल तेल	8 रुपए प्रति लीटर	10 रुपए प्रति लीटर

* अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के मद्दे तुरंत प्रभावी होंगे ।

VII. पैट्रोल और डीजल पर सड़क और अवसंरचना उपकर की दर में प्रभावी परिवर्तन

क्र0सं0	**विवरण**	**शुल्क की दर**	
	पैट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में उद्गृहीत सड़क और अवसंरचना उपकर की दर में प्रभावी परिवर्तन	से	तक
1	मोटर स्पिरिट, जो सामान्यतः पेट्रौल के रूप में ज्ञात है	8 रुपए प्रति लीटर	9 रुपए प्रति लीटर
2	उच्च गति डीजल तेल	8 रुपए प्रति लीटर	9 रुपए प्रति लीटर

VIII. अधिसूचनाओं की दरों का भूतलक्षी संशोधन :

क्रम सं0	**संशोधन**	**वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 के खंड**
1	(**i**) अधिसूचना सं. 46/2011-सीमाशुल्क, तारीख 01.06.2011, सं. 53/2011-सीमाशुल्क, तारीख 01.07.2011, सं. 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17.03.2012 का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन प्रस्तावित है, जिससे 31.03.**2017** से प्रभावी रूप से अधिसूचना में स्टेरिक एसिड का सही सीटीएच अंतःस्थापित किया जा सके ।	[82]
	(**ii**) अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30.06.2017 का भी भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन प्रस्तावित	[83]

	है, जिससे 01.07.**2017** से प्रभावी रूप से अधिसूचना में स्टेरिक एसिड का सही सीटीएच अंतःस्थापित किया जा सके ।	
2	अधिसूचना सं. 296/76-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, **1976** को संशोधित करने वाली अधिसूचना सं. 86/2018-सीमाशुल्क, तारीख 31 दिसंबर, **2018**, का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन प्रस्तावित है, जिससे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, **1975** की क्रमशः धारा 3(7) और धारा 3(9) के अधीन, **1** जुलाई, **2017** से 31 दिसंबर, **2018** तक की अवधि के लिए प्राइवेट सड़क यान के अस्थायी आयात पर सीमाशुल्क कन्वेंशन (कारनेट डी पैसेजिज-एन-दुआयन) के अधीन यानों के अस्थायी आयात पर उद्ग्रहणीय एकीकृत माल और सेवा कर तथा प्रतिकर उपकर उदग्रहणीय एकीकृत कर से भूतलक्षी छूट दी जा सके ।	[84]
3	अधिसूचना सं. 5/2016-सीमाशुल्क(एडीडी), तारीख 22 फरवरी, 2016 को, 21 अक्तूबर, 2015 से 22 फरवरी, 2016 तक की अवधि के लिए, भूतलक्षी प्रभाव, जिससे एडीडी के विचारण के अधीन उत्पाद, अर्थात् सभी पूर्ण रूप से बनाए गए या पूर्ण रूप से अभिसंस्कृत सूत/चरखे से बनाया गया सूत/पालियस्टर का फ्लैट सूत (गैर-टैक्स्चर्ड और गैर-पीओवाई) (5402 से 5402 47), का सही वर्गीकरण अंतःस्थापित किया जा सके । इस अधिसूचना से, अधिसूचना सं. 51/2015-सीमाशुल्क(एडीडी), तारीख 21 अक्तूबर, 2015 को संशोधित किया गया ।	[88]
4	अधिसूचना सं. 29/2016-सीमाशुल्क(एडीडी), तारीख 22 फरवरी, 2016 को 8 मार्च, 2016 से 4 जुलाई, 2016 तक की अवधि के लिए, भूतलक्षी प्रभाव, जिससे पोलीप्रोपलीन पर एडीडी के विचारण के अधीन उत्पाद की परिधि से टर-पोलीमर को अपवर्जित किया जा सके । इस अधिसूचना से, अधिसूचना सं. 7/2016-सीमाशुल्क, तारीख 8 मार्च, 2016 को संशोधित किया गया ।	[89]

IX. अन्य प्रकीर्ण परिवर्तन :

1	इस आशय को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए कि किसी भी रूप में झींगा भोजन और झींगी लारवा भोजन पर पांच प्रतिशत की रियायती दर को पुनः व्यक्त करने के लिए गोली के रूप में अन्य मछली भोजन पर केवल पांच प्रतिशत शुल्क लगेगा।	
2	अधिसूचना सं. 25/1998 - सीमा शुल्क में एचएस8486 को सम्मिलित करने के लिए जिससे कि अधिसूचना में यथा सम्मिलित अर्ध-संवाहक के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त सभी मशीनों को आधारिक सीमा-शुल्क से स्पष्ट तथा छूट दी जा सके।	
3.	अधिसूचना सं. 25/2005 - सीमा शुल्क तारीख 1 मार्च, 2005 में शीषफोन, कर्णफोन और लाइन टेलीफोन हैंड सेट के संयुक्त माइक्रोफोन/स्पीकर सेट को सम्मिलित करने के लिए क्योंकि ये मद आईटीए करार में टैरिफ उप-शीर्षक 85183000 के सामने माल के वर्णन में परिवर्तन द्वारा सम्मिलित की गई थी।	
4.	अधिसूचना सं. 57/2017 - सीमा शुल्क की क्रम सं. 6क पर प्रविष्टि का संशोधन करने के लिए जिससे कि उक्त प्रविष्टि से माइक्रोफोन रिसिवर, स्पीकर, कनेक्टर और सिम सोकिट को स्पष्ट रूप से अपवर्जित किया जा सके।	

उत्पाद-शुल्क

टिप्पण: (क) "मूल उत्पाद-शुल्क'' से उत्पाद-शुल्क अधिनियम, **1944** की चौथी अनुसूची में उपवर्णित उत्पाद-शुल्क अभिप्रेत है ।

(ख) "सड़क और अवसंरचना उपकर'' से वित्त अधिनियम, **2018** की धारा 112 के अधीन उद्ग्रहीत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क अभिप्रेत हैं ।

(ग) "विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क'' से वित्त अधिनियम, **2002** की धारा 147 के अधीन उद्ग्रहीत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अभिप्रेत है ।

(घ) वर्ग कोष्ठकों में खंड संख्यांक, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, **2019** के सुसंगत खंड को इंगित करते हैं ।

(ङ) वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, **2019** के माध्यम से किए गए संशोधन इसके अधिनियमन की तारीख को प्रभावी होंगे, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ।

I. उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची **में संशोधन :**

क्रम सं0	**मूल** उत्पाद-शुल्क की दर को प्रभावित करने वाले **संशोधन** [06.07.2019 से प्रभावी होने वाले] [वित्त (संख्यांक 2)विधेयक 2019 के खंड [ ]]		**शुल्क की दर**	
क्रम सं0	टैरिफ मद शीर्षक, उपशीर्षक	वस्तु	से	तक
1	27092000	कच्चा पेट्रोलियम	शून्य	1 रूपए प्रति टन

* अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, **1931** के अधीन देय घोषणा से तुरन्त प्रभावी होगा ।

II. अधिसूचनाओं के माध्यम से उत्पाद शुल्क दरों में अंतर्वलित परविर्तन के प्रस्तावः

क्र.सं.	**टैरिफ मद शीर्षक, उपशीर्षक**	**वस्तु**	**से**	**तक**
1	2402 2010		शून्य	5 रूपए प्रति हजार
2	2402 2020	65 मिलीमीटर से अधिक परन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरटों से भिन्न	शून्य	5 रूपए प्रति हजार
3.	2402 2030	65 मिलीमीटर से अनधिक की लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई इसमें से जो भी अधिक हो)	शून्य	5 रूपए प्रति हजार
4	2402 2040	65 मिलीमीटर से अधिक परन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई इसमें से जो भी अधिक हो)	शून्य	5 रूपए प्रति हजार
5.	2402 2050	70 मिलीमीटर से अधिक परन्तु 75 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लंबाई इसमें से जो भी अधिक हो)	शून्य	5 रूपए प्रति हजार
6.	2402 2090	अन्य	शून्य	10 रूपए प्रति हजार
7.	2402 9010	तंबाकू अनुकल्प की सिगरेट	शून्य	5 रूपए प्रति हजार
8	2403 1110	हुक्का या गुड़कू तंबाकू	शून्य	0.5 %
9.	2403 1910	पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण बीड़ी	शून्य	1 %
10.	2403 1921	कागज बेल्लित बीडियों से भिन्न, जो मशीन की सहायता के बिना विनिर्मित हो	शून्य	5 पैसा प्रति हजार
11.	2403 1929	अन्य (बीडी)	शून्य	10 पैसा प्रति हजार
12.	2403 1990	अन्य धुम्रपान के तंबाकू	शून्य	0.5 %
13.	2403 9100	"समांगीकृत'' या "पुनर्रचित'' तंबाकू	शून्य	0.5 %

14.	2403 9910	चबाने वाला तंबाकू	शून्य	0.5 %
15.	2403 9920	चबाने वाले तंबाकू वाली विर्निमितियां	शून्य	0.5 %
16.	2403 9930	जर्दा सुगंधित तंबाकू	शून्य	0.5 %
17.	2403 9940	नस्वार	शून्य	0.5 %
18.	2403 9950	नस्वार वाली विर्निमितियां	शून्य	0.5 %
19.	2403 9960	तंबाकू सार और सत	शून्य	0.5 %
20.	2403 9990	अन्य	शून्य	0.5 %
21.	2709 2000	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से नई गवेषणा अनुज्ञप्ति पॉलिसी (एनईएलपी) के अधीन उत्पादन साझेदारी संविदा या प्रस्ताव किए गए गवेषणा ब्लॉकों के अधीन विनिर्दिष्ट तेलीय क्षेत्र में उत्पादित कच्चा पेट्रोलियम तेल	1 रुपए प्रति टन	शून्य

III. वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन :

क्रम सं0	**पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क** की अनुसूचित दर में संशोधन [06.07.2019 से प्रभावी होने वाले] [वित्त (संख्यांक 2)विधेयक 2019 का खंड [85]] प्रभावी दर नीचे दिए गए **V**(क) में यथावर्णित अधिसूचना द्वारा विहित हैं		**शुल्क की दर**
		से	तक
1	मोटर स्पिरिट, जो सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात है	7 रुपए प्रति लीटर	10 रुपए प्रति लीटर
2	उच्च गति डीजल तेल	1 रुपए प्रति लीटर	4 रुपए प्रति लीटर

* अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के मद्दे तुरंत प्रभावी होंगे ।

IV. वित्त अधिनियम, 2018 की छठी अनुसूची में संशोधन :

क्र0सं0	पैट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त **उत्पादशुल्क** के रूप में उद्गृहीत सड़क और अवसंरचना उपकर की अनुसूचित दर में संशोधन, [06.07.2019 से प्रभावी]। [वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 का खंड [201] प्रभावी दर नीचे दिए गए **V**(ख) में यथावर्णित अधिसूचना द्वारा विहित है।	**शुल्क की दर**	
		से	तक
1	मोटर स्पिरिट, जो सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात है	8 रुपए प्रति लीटर	10 रुपए प्रति लीटर
2	उच्च गति डीजल तेल	8 रुपए प्रति लीटर	10 रुपए प्रति लीटर

* अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के मद्दे तुरंत प्रभावी होंगे ।

V. पैट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पादशुल्क तथा सड़क और अवसंरचना उपकर की दर में प्रभावी परिवर्तन :

क्र0सं0	**विवरण**	**शुल्क की दर**	
अ	**पैट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पादशुल्क की प्रभावी दर में वृद्धि**	**से**	**तक**
1	मोटर स्पिरिट, जो सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात है	7 रुपए प्रति लीटर	8 रुपए प्रति लीटर
2	उच्च गति डीजल तेल	1 रुपए प्रति लीटर	2 रुपए प्रति लीटर
आ	**पैट्रोल और डीजल पर, अतिरिक्त उत्पादशुल्क के रूप में उद्ग्रहीत सड़क और अवसंरचना उपकर की प्रभावी दर में वृद्धि**	**से**	**तक**
1	मोटर स्पिरिट, जो सामान्यतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात है	8 रुपए प्रति लीटर	9 रुपए प्रति लीटर
2	उच्च गति डीजल तेल	8 रुपए प्रति लीटर	9 रुपए प्रति लीटर

सेवा कर

टिप्पण :(क) "सेवा कर" से वित्त अधिनियम, **1994** की धारा 66ख के अधीन उद्ग्रहीत **सेवा कर** अभिप्रेत है ।

(ख) वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, **2019** के माध्यम से किए गए संशोधन इसके अधिनियमन की तारीख को प्रभावी होंगे, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ।

क्रम सं0	**भूतलक्षी रूप से छूट**	**वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 के खंड**
1	1 अप्रैल, 2016 से आरंभ होने वाली और 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा लिकर लाइसेंस के रूप में सेवा प्रदान करने या प्रदान करने की सहमति देने के लिए, लाइसेंस फीस या आवेदन फीस या अन्य किसी नाम से ज्ञात के रूप में ली गई राशि को सेवा कर से छूट देना प्रस्तावित है ।	[116]
2	1 जुलाई, 2013 से आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान केंद्रीय सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार भारतीय प्रबंध संस्थानों द्वारा छात्रों को, कार्यपालक विकास कार्यक्रम के सिवाय निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रमों द्वारा,-- (क) प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रबंधन में दो वर्ष का पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसके लिए प्रवेश भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर किए गए हैं ; (ख) प्रबंधन में अध्येता कार्यक्रम ; (ग) प्रबंधन में पांच वर्ष का एकीकृत कार्यक्रम, उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने के लिए करार पाई गईं सेवाओं को सेवा कर से छूट देना प्रस्तावित है ।	[117]
3	1 अक्तूबर, **2013** से आरंभ होने वाली और **30** जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी औद्योगिक या वित्तीय कारबार क्षेत्र के विकासकर्ताओं के लिए राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम या उपक्रमों द्वारा या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र के **50** प्रतिशत या अधिक के स्वामित्व वाले अन्य अस्तित्व द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने के लिए करार पाई गई वित्तीय कारबार हेतु अवसंरचना के विकास के लिए प्लाटों का तीस वर्ष या अधिक का दीर्घकालिक पट्टा देने के माध्यम से सेवा के संबंध में संदेय बयाने (प्रीमियम, सलामी, लागत, कीमत, विकास प्रभार के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात) की रकम को सेवा कर से छूट देना प्रस्तावित है ।	[118]

<u>सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान स्कीम</u>

क्रम सं0	**प्रस्ताव का ब्यौरा**	**वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 के खंड**
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के विरासत संबंधी मामलों के समाधान और बंदोबस्त के लिए एक विवाद समाधान सह निर्मुक्ति स्कीम, जो **सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान स्कीम के नाम से ज्ञात है, को पुरःस्थापित किया जा रहा है ।**	[119-134]

माल और सेवा कर

टिप्पण:(क) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ।

(ख) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ।

(ग) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ।

(घ) वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, **2019** के माध्यम से किए गए संशोधन इसके अधिनियमन की तारीख को प्रभावी होंगे, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो ।

वित्त विधेयक, 2019 में किए गए संशोधन उस तारीख को प्रभावी होंगे, जब राज्यों या विधान सभाओं वाले संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा तत्स्थानी संशोधनों के साथ-साथ, उसे अधिसूचित किया जाएगा ।

I. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन

क्रम सं0	**संशोधन**	**वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 के खंड**
1	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (4) में "न्यायनिर्णयन प्राधिकरण'' की परिभाषा का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि "न्यायनिर्णयन प्राधिकरण'' की परिभाषा से "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण'' (जो कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 17 के विभिन्न संशोधनों द्वारा बनाया जा रहा है)को अपवर्जित किया जा सके ।	[91]
2	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 में एक नई उपधारा का अंत:स्थापन किया जा रहा है, जिससे सेवाओं के पूर्तिकार या मिश्रित पूर्तिकारों (जो पूर्व की संयुक्त स्कीम के लिए पात्र नहीं है), जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में वार्षिक आवर्त पचास लाख रुपए तक है, के लिए वैकल्पिक संयुक्त स्कीम का उपबंध किया जा सके । आगे धारा 10 में स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि : i. संयुक्त स्कीम की पात्रता का अवधारण सकल आवर्त की संगणना से होगा, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य उसमें सम्मिलित नहीं होगा । ii. किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कर संदेय की संगणना के लिए सकल आवर्त का अवधारण किया जाएगा, किंतु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य उसमें सम्मिलित नहीं होगा ; और 1 अप्रैल से उस तारीख तक, जब करदाता रजिस्ट्रीकरण के दायी बन जाता है, पहली पूर्तियों के मूल्य को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।	[92]
3	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 22 में एक परंतुक और एक स्पष्टीकरण का अंत:स्थापन किया जा रहा है, जिससे उस पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा हुआ है, बीस लाख रुपए की उच्चतर अवसीमा छूट को चालीस लाख रुपए से अनधिक तक उपबंध किया जा सके ।	[93]
4	नए करदाताओं की विनिर्दिष्ट श्रेणी के लिए आधार अधिप्रमाणन आज्ञापक बनाने और उस रीति को विहित करने, जिसमें कतिपय रजिस्ट्रीकृत करदाताओं की श्रेणी को आधार अधिप्रमाणन करवाना अपेक्षित हो, के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 25 में नई उपधाराओ का अंत:स्थापन किया जा रहा है ।	[94]
5	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में नई धारा 31क का अंत:स्थापन किया जा रहा है जिससे कि विनिर्दिष्ट पूर्तिकारों को अपने प्राप्तिकर्ता को इलैक्ट्रानिक संदाय के लिए विनिर्दिष्ट पद्धतियों का विकल्प देना आज्ञापक हो सके ।	[95]
6	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि उस करदाता को, जो संरचना उदग्रहण के लिए विकल्प लेता है, कर की वार्षिक विवरणियों और त्रैमासिक संदायों को प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके और अन्य विनिर्दिष्ट करदाताओं को, नई प्रस्तावित विवरणी प्रणाली के अधीन त्रैमासिक या मासिक विवरणी प्रस्तुत करने और कर	[96]

	संदायों हेतु विकल्प दिया जा सके ।	
7	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में नए परंतुकों का अंतःस्थापन किया जा रहा है, जिससे आयुक्त को, वार्षिक विवरणी (विहित **प्ररूप जीएसटीआर 9/9क**) और समाधान विवरण (विहित **प्ररूप जीएसटीआर 9ग**) प्रस्तुत करने की देय तारीख को विस्तारित करने हेतु सशक्त किया जा सके ।	[97]
8	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 में नई उपधाराओं का अंतःस्थापन किया जा रहा है जिससे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, इलैक्ट्रानिक नकद खाते में किसी एक (शीर्ष या लघु) शीर्ष से दूसरे (शीर्ष या लघु) शीर्ष को किसी रकम का अंतरण करने की सुविधा का उपबंध किया जा सके ।	[98]
9	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) में नए परंतुक का अंतःस्थापन किया जा रहा है, जिससे केवल शुद्ध नकद कर दायित्व पर ही ब्याज प्रभारित किया जा सके, उन मामलों के सिवाय, जहां कर का संदाय अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् किया जाता है, का उपबंध किया जा सके ।	[99]
10	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) और उपधारा (5) में नए परंतुकों का अंतःस्थापन किया जा रहा है, जिससे आयुक्त को, स्रोत पर कर का संग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा मासिक और वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को विस्तारित करने हेतु सशक्त किया जा सके ।	[100]
11	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 53क का अंतःस्थापन किया जा रहा है, जिससे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक नकद खाता में एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष मे रकम के अंतरण को अनुज्ञात करने के लिए केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 में संशोधन के परिणामस्वरूप केंद्र और राज्यों के बीच में रकम के अंतरण का उपबंध किया जा सके ।	[101]
12	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में नई उपधारा (8क) का अंतःस्थापन किया जा रहा है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, राज्य करों के भी प्रतिदाय के संबंध में करदाताओं को रकम के प्रतिदाय का वितरण कर सके ।	[102]
13	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 95 में नए खंड (च) का अंतःस्थापन किया जा रहा है जिससे "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण" पद को परिभाषित किया जा सके ।	[103]
14	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में नई धारा 101क, धारा 101ख और धारा 101ग का अंतःस्थापन किया जा रहा है जिससे राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण के गठन, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता, नियुक्ति, कार्यावधि, सेवा की शर्तों के लिए उपबंध किया जा सके ; दो या अधिक राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के अपील प्राधिकरणों द्वारा सुभिन्न व्यक्तियों की दशा में समान प्रश्न पर दिए गए विरोधाभासी अग्रिम विनिर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया के लिए उपबंध किया जा सके ;और उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, अपील फाइल किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा ।	[104]
15	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 102 का संशोधन किया जा रहा है जिससे राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को कतिपय विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के सिवाय, उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश को, उसके पारित करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अभिलेख में दिखाई देने वाली त्रुटि का सुधार करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके ।	[105]
16	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 103 का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय, आवेदकों, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं और सभी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों पर, जिनके पास एक जैसा स्थायी खाता संख्यांक है और उक्त आवेदकों तथा एक जैसा स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों या अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों पर आबद्धकर होगा, जब तक कि विधि या तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है ।	[106]
17	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 104 का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय उस समय शून्य होगा, जहां विनिर्णय को किसी कपट या सारवान तथ्यों को छिपाकर या तथ्यों का मिथ्या कथन करके अभिप्राप्त किया गया है ।	[107]

18	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 105 का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के पास, अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी ।	[108]
19	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 106 का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के पास उसकी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।	[109]
20	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 और धारा 44 के परिणामस्वरूप, धारा 168 का संशोधन किया जा रहा है जिससे यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि धारा 44 की उपधारा (1) और धारा 52 की उपधारा (4) और उपधारा (5)के संबंध में आयुक्त या संयुक्त सचिव, बोर्ड के अनुमोदन से उक्त धाराओं में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे ।	[110]
21	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 171 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (अधिनियम की धारा 171 की उपधारा (2) के अधीन) को मुनाफाखोरी की रकम के दस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त किया जा सके ।	[111]

II. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन :

क्रम सं0	**संशोधन**	**वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 के खंड**
1	एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 17क अंतःस्थापित किया जा रहा है जिससे केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 49 के संशोधन के परिणामस्वरूप केंद्र और राज्यों के बीच में रकम के अंतरण के उपबंधों से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक नकद खाता में एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में रकम के अंतरण को अनुज्ञात करने के लिए उपबंध को अधिनियम में लाया जा सके ।	[113]

III. माल और सेवा कर की दरों की अधिसूचनाओं का भूतलक्षी संशोधन :

क्रम सं0	**संशोधन**	**वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 के खंड**
1	केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं. 2/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 भूतलक्षी रूप से संशोधित की जा रही है, जिससे 1 जुलाई, 2017 से 14 नवंबर, 2017 तक "यूरेनियम अयस्क सांद्र" को केंद्रीय कर के उदग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट दी जा सके ।	[112]
2	एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं. 2/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 भूतलक्षी रूप से संशोधित की जा रही है, जिससे 1 जुलाई, 2017 से 14 नवंबर, 2017 तक "यूरेनियम अयस्क सांद्र'' को एकीकृत कर के उदग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट दी जा सके।	[114]
3	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना सं.2/2017 - संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 का भूतलक्षी रूप से संशोधित की जा रही है, जिससे 1 जुलाई, 2017 से 14 नवंबर, 2017 तक "यूरेनियम अयस्क सांद्र" को संघ राज्यक्षेत्र कर के उदग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट दी जा सके।	[115]